सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन व नियोजन

(वन अधिकार कानून २००६ अंतर्गत)

अहाड

२०१७ - २०२७

रचना : ग्रामसभा अहाड

तकनिकी सहयोग : खोज

आभार

वन अधिकार कानून अंतर्गत सामुहिक वन अधिकारों को मान्यता मिलना यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। परंतु असली काम तो अधिकार के आगे ग्रामसभा द्वारा सामुहिक वन संसाधनों के प्रबंधन एवंम शास्वत उपयोग का है। समूचे देश में अधिकारों की मान्यता मिलने पर भी प्रबंधन-नियोजन की प्रक्रिया काफी मंद गति से आगे बढ रही है।

महाराष्ट्र में वर्ष 2013 से शुरूवात में यु.एन.डी.पी. (U.N.D.P.) के सहकार्य से तथा उसके पश्चात आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की पहल से अब कई गांव मे प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन की प्रक्रिया चलाई जा रही। इसके तहत वर्ष 2016 से मेलघाट क्षेत्र के कुछ गांव के सामुहिक वन अधिकार प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिये व्ही.एन.सी. एस. (V.N.C.S.) के तथा आदिवासी विकास विभाग के हम आभारी है।

इस प्रक्रिया में खोज संस्था ने ग्रामसभा के साथ मिलकर यह प्रक्रिया चलाई और उम्मीद है, इस प्रक्रिया से सामुहिक वन अधिकारों के अमल को सही दिशा प्राप्त होगी। इस पूरी प्रक्रिया को आगे ले जाने में ग्रामसभाओ की बहुत बडी जिम्मेदारी है। ग्रामसभायें अपने अनुभव व अभ्यास के आधार पर इसमें बदलाव लाने का हक रखती है।

इस प्रक्रिया के साथ जुडे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार...!

अनुक्रमणिका

अ.क्र	विवरण	पान क्र
	अहाड एक नजर मे	४
	परिप्रेक्ष्य	५
	वन अधिकार धारको के कर्तव्य	६
	गांव का इतिहास : वन –लोकजीवन	८
	गांव समाज की स्थिती	११
	वन तथा जैव विविधता का वर्तमान स्वरूप	१७
	वन संसाधनो का इस्तेमाल : वर्तमान जरूरते	३३
	प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य	३४
	वन नियोजन की दिशा	३५
	संसाधन आरेखन पद्धती	३७
	प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया	३८
	भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)	३९
	नियम तथा दस्तावेजी नोंद	४३
	विवादों का निराकरण	४४
	परिशिष्ट : 1) सुक्ष्म नियोजन	
	2) स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम	
	3) ग्रामसभा की नोटीस तथा ठराव	
	4) संक्षिप्त	

अहाड : एक नजर में

- तहसिल : चिखलदरा, जिला - अमरावती.
- कुल सामुदायीक वन अधिकार क्षेत्र : 228.92 हेक्टर/आर.
- कुल परिवार : 95
- जनसंख्या : 447
- सभी परिवार सामुहिक वन अधिकार धारक है।
- मूल निवासी समुदाय : अ) अनुसूचित जनताती 93 परिवार
  ब) अन्य पिछडे वर्ग 02 परिवार
- वन संसाधन : अंशतः अवनत वन, काफी प्रमाण में स्थानिय वृक्ष, वनस्पती प्रजातीयों की उपलब्धता।
- वन संरक्षण, संवर्धन हेतू प्रयासरत।
- म.गां.रा.ग्रा.रो.ह. कायदा-योजना में सकारात्मक कार्य।
- लघु वनोपज संकलन-उत्पादन मे समुदाय की भागीदारी।

2. परिप्रेक्ष्य

वन अधिकार कानून 2006 में सामुहिक वन अधिकार से जुडे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानआदिवासी एवंम परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) कानून 2006 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मान्य किया गया। कानून की धारा (3) अंतर्गत सामुहिक वन अधिकार से जुडे निम्न प्रावधानों को मान्य किया गया है।

3 (1) ख : सामुदायिक अधिकार, जैसे की, निस्तार अथवा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिनके अंतर्गत तत्कालिन राजाओं के राज्यों, जमीनदारों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित है।

3 (1) ग : गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहूँच, उनका उपयोग और व्ययन (Dispose) का अधिकार रहा है।

3 (1) घ : यायावरी या चारागाही समुदायों को मस्त्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमंतू दोनो) उपयोग या उनपर हकदारी ओर पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहूँच के अन्य सामुदायिक अधिकार।

3 (1)झ : ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसका वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षण कर रहे है।

3 (1) ट : जैव विविधता तक पहूँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।

अधिकार धारकों को संरक्षा हेतू निर्वाह करने वाले कर्तव्यों के बाबद कानून के भाग 5 में निम्न प्रावधान किये गये है।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहाँ इस अधिनियम के अधिन किन्ही वन अधिकारों के धारक है, ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए सशक्त है.

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, लगा हुआ जलागाम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य परिस्थितिकिय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासीयों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहूँच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों (निर्णयों) का पालन किया जाता है।

इस कानून के 14 वे भाग में, केंद्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों पर अमल होने के लिए आगे नियम बनाये है।

अनुसूचित जनजाती तथा परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 यह 1 ली जनवरी 2008 से लागू हुए । नियम 4 में ग्रामसभा के कृत्यमें दर्शाया गया है, अनुसार 4 (1)(ई) की समिती स्थापित करना जो अपने सदस्यों द्वारा इस कानून के भाग 5 के प्रावधानों को आगे चलाने हेतू वन्यजीव, वन तथा जैवविविधता की संरक्षा के लिए कार्य करें।

06/02/2012 को इस नियम में भारत सरकार ने संशोधन किया है। और इसे अब अनुसूचित जनजाती तथा पारंपारीक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) संशोधित नियम 2012 कहलाता है।

4 (1) फ : को बदल कर 4 (1)(ई) कर दिया है जो निचे दिये अनुसार है।

4 (1) : नियम 4 (1) डः या 4 (1)(ई) अंतर्गत बनी समिती पर उचित देखरेख तथा नियंत्रण करना ताकि वह अपने वन संवर्धन और व्यवस्थापन का नियोजन बना सकें जिससे सामुदायिक संसाधनों का समान और चिरस्थायी व्यवस्थापन आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वन निवासीयों के लिए कर सके और अपने व्यवस्थापन नियोजन (Management Plan) को वनविभाग के सूक्ष्म नियोजन या कार्ययोजना में समिती द्वारा यथा उचित माने सुझावों के साथ उसको अंतर्भूत करें।

इस के तहत गठीत की गई समिती ही प्रबंधन-नियोजन का खाका तयार करेगी।

गाव का इतिहास : वन - लोकजीवन

अहाड यह गांव क्षेत्र मेलघाट, तहसिल चिखलदरा जिला अमरावती (महाराष्ट्र राज्य) मे मेलघाट क्षेत्र के दक्षिण भाग में बसा है। यह वन-वन्यजीव विभाग के दक्षिण मेलघाट क्षेत्र से सटा है।गांव के दक्षिण भाग में तहसिल अकोट जिला अकोला की सीमा लगी है।

अनुसूचित जनजाती एवं परंपरागत वन निवासीयों का वनों पर अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के अंतर्गत गाव अहाड की ग्रामसभा ने सामूहिक अधिकार का दावा दाखल किया। इसके तहत गांव को वन एवं वन संपत्ती के रूप में 228.92 हे. क्षेत्र मंजूर हुआ। इस क्षेत्र के देखभाल, प्रबंधन एवं नियोजन की प्रक्रिया गांव ग्रामसभा अहाड ने शुरू की।

वर्ष 2017 में ग्रामसभा अहाड के साथ खोज के कार्यकर्ता एवं सर्वेक्षण-नियोजन समूह सदस्यों की विभिन्न सभा-बैठकों के द्वारा यह प्रक्रिया आगे बढ रही है। गांव के जानकार व्यक्तियों से जानकारी-अनुभवों की चर्चा द्वारा गांव अहाड की स्थिती को भी समझने जानने का कार्य जारी रहा।

गांव के बुजुर्ग तुलसीराम चन्नु कास्देकर बताते है कि, पहले यह गाव कुछ दूरी पर जंगल से घिरे एक टेकडे पर बसा था इसलिए गांव का नाम 'खेडा बल्ला' था। उस जमाने में मतलब साधारणतः 180 वर्ष पूर्व गांव में केवल 11 परिवार रहते थे। गांव की आजिविका स्थिती पर हिराजी ठुना धांडे ने बताया कि पुराने समय मे लोग वनों पर निर्भर थे। वनो से कंद-मूल जमा करते थे-खाते थे। शिकार करना भी आजिविका का प्रमुख भाग था। जैसे-जैसे समय बदला लोग वनोपज तथा लकडी काटकर बेचने का काम करने लगे।

मनीराम बाबु बेलसरे कहते है कि, हमारा गांव अकोट जिला अकोला के नजदिक साधरण 15.कि.मी. है। अकोट शहर जो कि हमारे लिए बाजार,लेन-देन की जगह थी वहाँ के बेपारीयों को वनों से प्राप्त लाख, गोंद, लेंझा की छाल, आवला,

बेहडा, हिरडा, तथा बांस घास और लकडीयाँ बेचा करते थे। बाद में वर्षो के जलावू इंधन की लकडीयाँ बेचना तथा आस-पास के बडे गांव के बडे किसानों के यहाँखेत मजदूरी का काम रोजी-रोटी के लिए लोग करते रहे। साथ ही आस-पास की जमीन साफ कर खेती-बाडी भी करने लगे।

बाबाराव गुंगा दहीकर ने बताया कि, गांव के परिवार बढते गये। जगह कम पडने लगी तब कुछ अंतर पर ज्यादह खुली जगह चुन कर, आज जहाँ गांवबसा है, गांव स्थानांतरित किया गया। जिसके आस–पास खेती जोतने हेतू अधिक जमीन उपलब्ध हुई। पुराने बस्ती के खेडा बल्ला की जगह पर आज भी उस जमाने के आदिवासी गांव दैवत जिसमे खेडा मुठवा तथा बोरे बाबा, बुकली माय के स्थान जाने जाते है तथा जुना हनुमान बाबा का भी स्थान है।

गांव के नाम के बारे मे पूछे जाने पर नंदू दूना तांडिलकर तथा अन्य लोगों ने बताया कि, हमारे गांव आदिवासी समाज ‘कोरकू’ है। जो अपने संस्कृति तथा अपने त्योहार-उत्सव को बहुत महत्व देते थे। वर्ष मे विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहार जो कि, आज भी मनाएँ जाते है। में, होली, फागुन, जिरोती, अखाडी, माता-पूजा, दसरा, आदि मानते है। तथा शादी-विवाह का समारोह भी आनंदपूर्वक मनाते है। इन अवसरों पर, सुसुन-गाडुली, नृत्य, गीत, दंडा, डोलार-सिरिंज, ब्याव सिरिंज, खेचोली

सिरिंज याने डोलार त्योहार मे झुले पर गाने वाले गीत, नाच-गानो के साथ सामुदायिक जीवन का आनंद उठाते रहे है इसलिए हमारे लोग अपने को आनंद याने 'आरी' लोग मानते है। अतः नये गांव को पहले 'आरीगांव' नाम रखा कालांतर में उसका नाम 'अहाड' के रूप में प्रचलित हुआ। ऐसा यह उत्साही या शौकिन लोगों का गांव है।

गांव समाज की स्थिती

वर्तमान मे गांव में 97 परिवार बसते है। जिनमे 2 परिवार गवली के जो साधारण 20 वर्ष पूर्व इस गांव में आ बसे है इसके अलावा 3 निहाल (आदिवासी) तथा शेष सभी कोरकू आदिवासी परिवार है। इनमे 33 परिवार के पास खेत जमीन है। जिनमे स्वंय के खेती मे 123 लोग काम करते है। जो साथ ही अन्य लोगों की खेती में एंव रो.ह.यो. या शहर में मजदूरी भी समय-समय पर करते रहते है। गांव मे कुल श्रमिकों की संख्या लगभग 296 है जो खेत-मजूरी, अन्य मजूरी, रो.ह.यो कार्य, अन्य गांव शहरो में छोटे कारखाने, ईट भट्टी, इमारत बांधकाम इ. स्वरूप की स्थलांतरित मजदूरी कार्य करते है। गांव सर्वेक्षण के आंकडो से यह जानकारी मिलती है कि, 30 परिवारों के पास दरिद्र रेखा के निचे का रेशन कार्ड है तथा 10 परिवार दरिद्र रेखा के उपर का रेशन कार्ड धारक है, जबकि 60 परिवार रेशनकार्ड से वंचित है।

गांव मे शाला साधारणः 35 से 40 वर्ष पूर्व शुरू हुई है तथा अंगणवाडी केन्द्र 20 से 25 वर्ष पूर्व शुरू किया गया है। स्थानिक जानकार हिरामन बिसराम बेलसरे तथा संजय हिरालाल दहीकर, गांव के खेती फसल की स्थिति के बारे मे जानकारी देते समय बता रहे थे कि, 20-30 सालों के पहले सावा, कोदो, कुटकी जैसे घास वर्ग के अनाज तथा धान एव जवार की फसले प्रमुखता से ली जाती थी, जो कालांतर मे बदल होते हुए आज के समय में मुख्यतः सोयाबीन तथा हायब्रिड जवारी और थोडे प्रमाण में कपास, बाजरी, तुवर आदी की उपज ली जाती है।

वन उत्पाद में पहले, खाने के लिए, कंद-मूल में, बायल, कुलू तथा पत्ते भाजी में, बाना आरा, कोयलारी, बोसई आरा, पांगी आरा, आदि भोजन में अधिकतर शामिल किए जाते थे। जो अब वनों में कम होते है। तथा आज भी लोग कभी-कभी

लाते-खाते है। बिक्री के लघु-वनोपज अब जंगल में अत्यंत कम प्रमाण तथा खरेदी व्यवस्था नही होने से पिछले 4-5 वर्षो में बंद ही है। इंधन लकडी, खेती के अवजार नांगर, बक्खर, गाडी इ. की जरूरत के मुताबिक सुविधा जुटा लेते है। इंधन-जलावू लकडी गट्ठा (मोली/मुली) बेचना भी कमसे-कम हो गया है। अब लोग अपनें वनों को बचाना, संरक्षण, संवर्धन करने बाबद जागरूक होने लगे है विचार-चर्चा करने लगे है।

पहले समय में गांव के घर जो बांस, लकडी, मिट्टी से बने तथा सागवान के पत्तों एव घास से छत बनाते थे। स्वयं अथवा सरकारी घरकुल योजना से मिट्टी-ईट से मकान तथा कवेलू, टीन से छत बनाने लगे है। जिससे वनों का भार कम हुआ है। खेती औजार, नांगर, गाडी इ. भी आज लोहे से बनी इस्तेमाल हो रही है। अतःवनो की कटाई रूक गई है।

गांव की कुल आबादी 487 है जिनमे शिक्षण प्राप्ती की स्थिती मे 188 तथा अन्य शिक्षित व्यक्ति 369 है। मजदूरी कार्य हेतू स्थंलातरित होते रहने वालों की तादाद 223 है जो जनसंख्या के 50%के लगभग है। वन क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार लाल, मुरूमाळमिट्टी, भुरकट मिट्टी तथा खेती क्षेत्र मे काली मिट्टी भी है।

गाव आहाड के परिवारों का कुटूंब स्तरीय सर्वेक्षण करने से गाव की सामान्य स्थिती की प्राप्त जानकारी हम निचे दर्शाये तक्तों में देख सकते है ।

जनसंख्या :

कुल परिवार	पुरूष	महिला	कुल संख्या
95	248	209	447

उम्र समुह	महिला	पुरुष	कुल संख्या
0 से 3 वर्ष	11	15	26
3 से 6 वर्ष	13	17	30
6 से 14 वर्ष	14	25	39
14 से 18 वर्ष	21	16	37
18 से 35 वर्ष	21	19	40
35 से 65 वर्ष	103	120	223
65 से अधिक	26	36	62
कुल	209	248	447

जाती निहाय्य :

कुल परिवार	S.T	S.C	N.T	OBC	इतर
95	93	&	&	02	&

कुल परिवार	पुरुष	महिला संख्या
95	248	209

शैक्षणिक स्थिती :

शिक्षण	पुरुष	महिला	संख्या
अंगणवाडी	32	24	56
प्राथमिक	25	14	39
उच्च माध्यमिक	35	42	77
शालांत माध्यमिक	09	03	12
उच्च शालांत माध्यमिक	01	01	02
पदवी	&	&	&
अन्य	&	&	&

रेशनकार्ड की स्थिती :

रेशनकार्ड धारक परिवार	कुल संख्या
अंत्योदय	&
दारिद्रय रेखा के नीचे	66
दारिद्रय रेखा के उपर	05
जिनके पास रेशन कार्ड नही है।	30

भूमिधारक की स्थिती :

भूमिधारक परिवार	भूमिहिन परिवार
27	68

आजिवीका की स्थिती :

अ.क्र	आजिवीका के स्त्रोत	कुल परिवार
1)	खेती	27
2)	मजदुरी	68
3)	सरकारी नौकरी	&
4)	अन्य	&

जनसंख्या विभाजन की स्थिती :

अ.क्र	**जनसंख्या कि विभाजीत स्थिती**	**कुल संख्या**
1)	विधवा	12
2)	विधुर	&
3)	वयोवृध्द	&
4)	अंध	&
5)	शारिरिक अंपगत्व	02
6)	परित्यक्ता	01

पालतु पशुओं की जानकारी :

अ.क्र	पालतु पशु	कुल संख्या
1)	बैल	19
2)	गाय	13
3)	भैस	10
4)	बकरीयाँ	64
5)	मुर्गीयाँ	14
6)	अन्य	–

जलतन कि स्थिती :

परिवार	इंधन लकडी	स्थलांतरण	पिने के पानी/स्त्रोत	खेत जमिन
95	351	223	नळ योजना सार्वजनिक	130 एक्कर

चारे की स्थिती :

पालतु जानवर	कुल संख्या	चारे की जरूरत (प्रती दिन) कि.ग्रॅम	–	प्रतिदिन वर्ष जरूरत मे कि.ग्रॅम
बैल	19	X 3 = 57	X 365	20805
गाय	13	X 3 = 39	X 365	14235
भैस	10	X 5 = 50	X 365	18250
बकरियाँ	64	X 1 = 64	X 365	23360
एकूण	–	–	–	76650

वन तथा जैवविविधता का वर्तमान स्वरूप

'अहाड' वास्तव में एक सुंदर सा छोटा गांव है। 'कोरकू' आदिवासीयों के परंपरागत तौर-तरिको एवं संस्कृति विशेष के अनुरूप बसा हुआ गांव परंपरागत खेडा तथा मुठवा के श्रद्धास्थान है। गांव के पूर्व-उत्तर दिशा मे अधिकांश खेत जमीने है। दक्षिण में झिंगापूर-पोपटखेडा मार्ग तथा पश्चिम में उत्तर-दक्षिण प्रवाहित पठार नदी है। जिसके पार गांव पोपटखेडा से उत्तर-दक्षिण हरिसाल-अकोट मुख्य सडक है। पठार नदी के उपनदी-डोह के नाम ढाकरपाटी तथा चिचा पाटी है। यहाँ एक मांडवापाटी स्थान पर धबधबा (झरना) है जो की सुंदर देखने योग्य स्थान है। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। गांव से कुछ दूरी पर उत्तर दिशा वन क्षेत्र में अन्य श्रद्धा स्थान है जो थाना बाबा, चिती माय, पिर बाबा तथा जंगल मे भुमका बाबा, बोरे बाबा, के नाम से जाने जाते है। गांव का मुख्य वन क्षेत्र उत्तर-पूर्वी भाग में है जो अद्दडा के नाम से पहचाना जाता है।

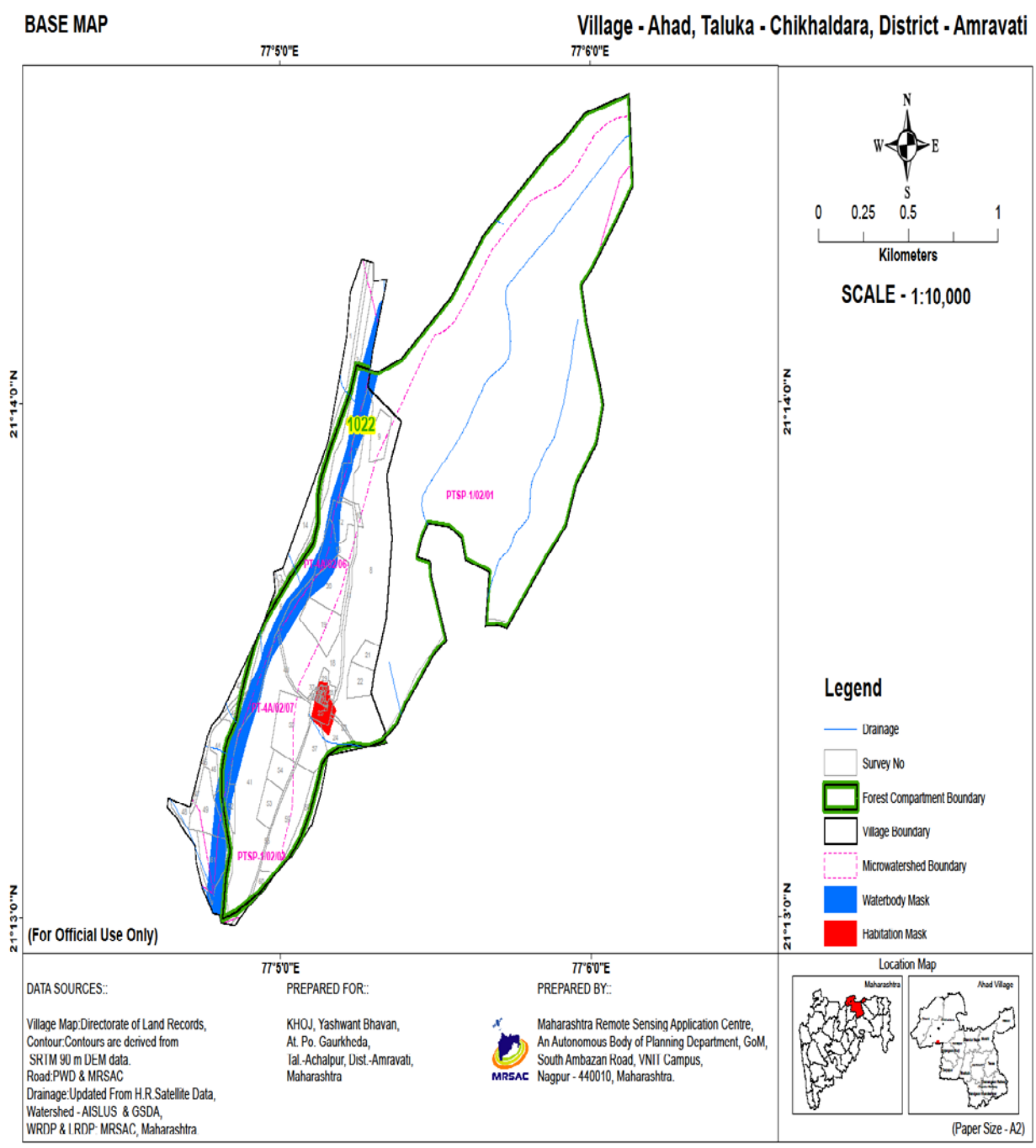

BASE MAP **Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati**

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

(Paper Size - A2)

GROUNDWATER PROSPECT MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

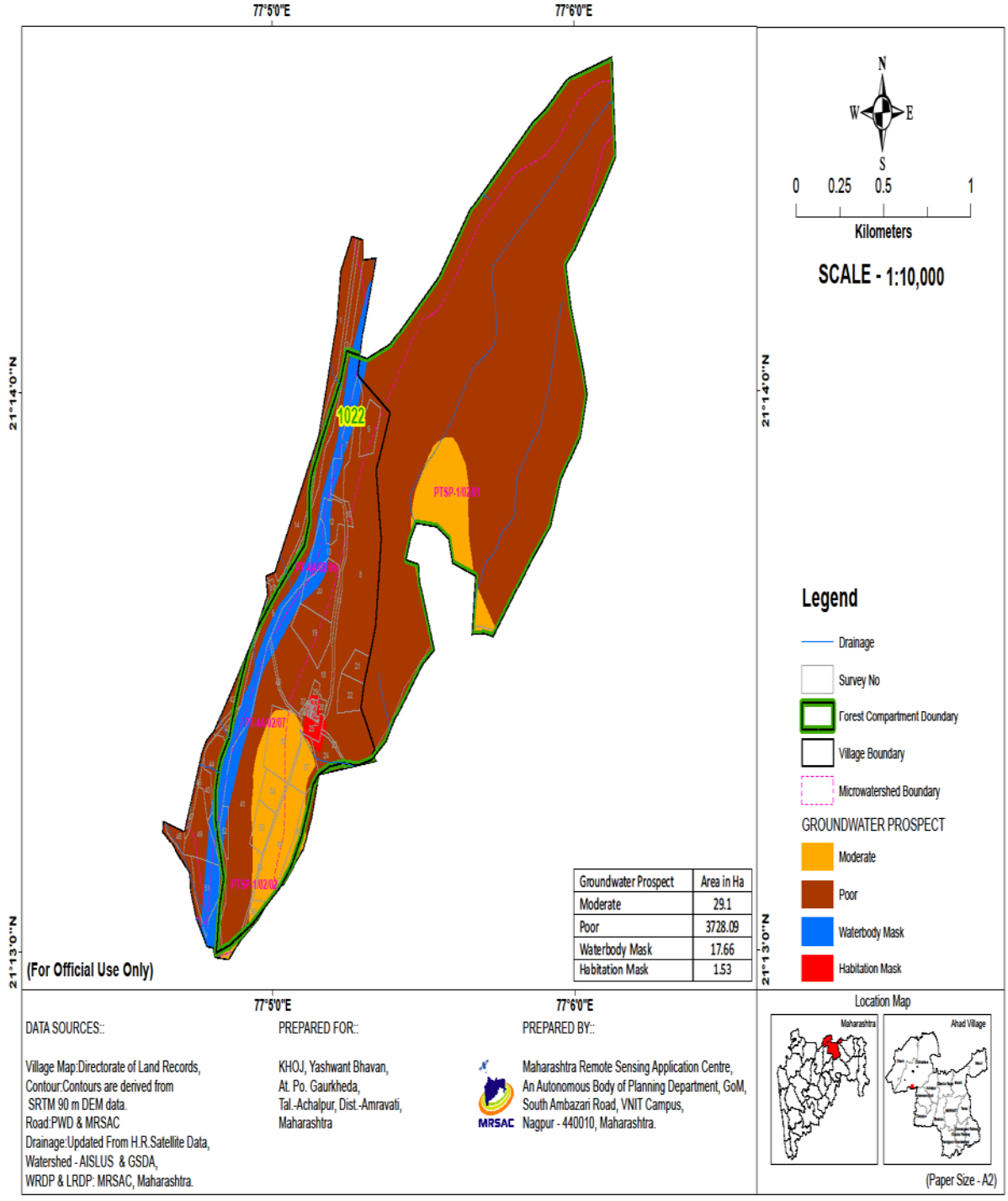

Groundwater Prospect	Area in Ha
Moderate	29.1
Poor	3728.09
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

Location Map

(Paper Size - A2)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

SLOPE MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

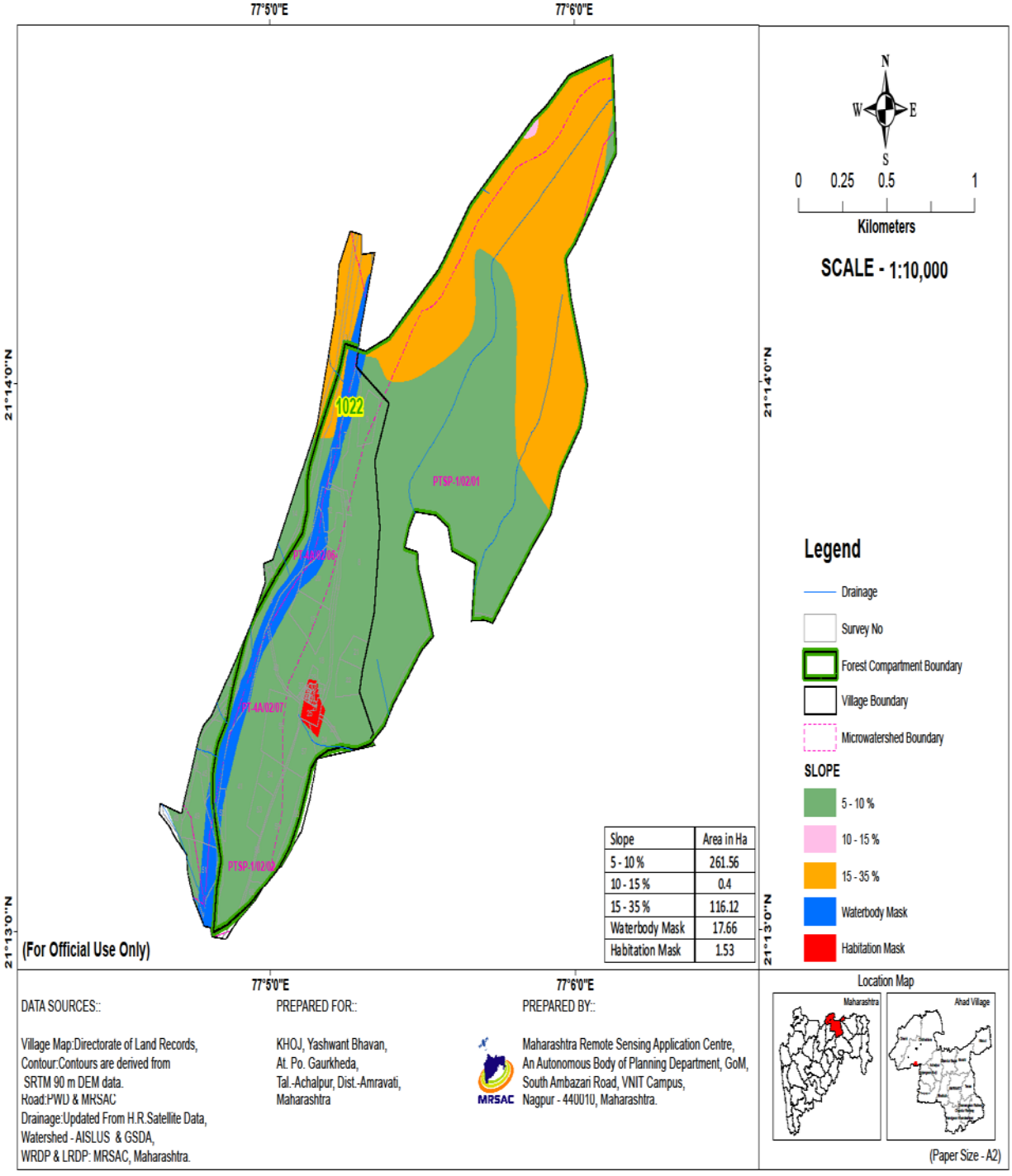

Slope	Area in Ha
5 - 10 %	261.56
10 - 15 %	0.4
15 - 35 %	116.12
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

Location Map

(Paper Size - A2)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

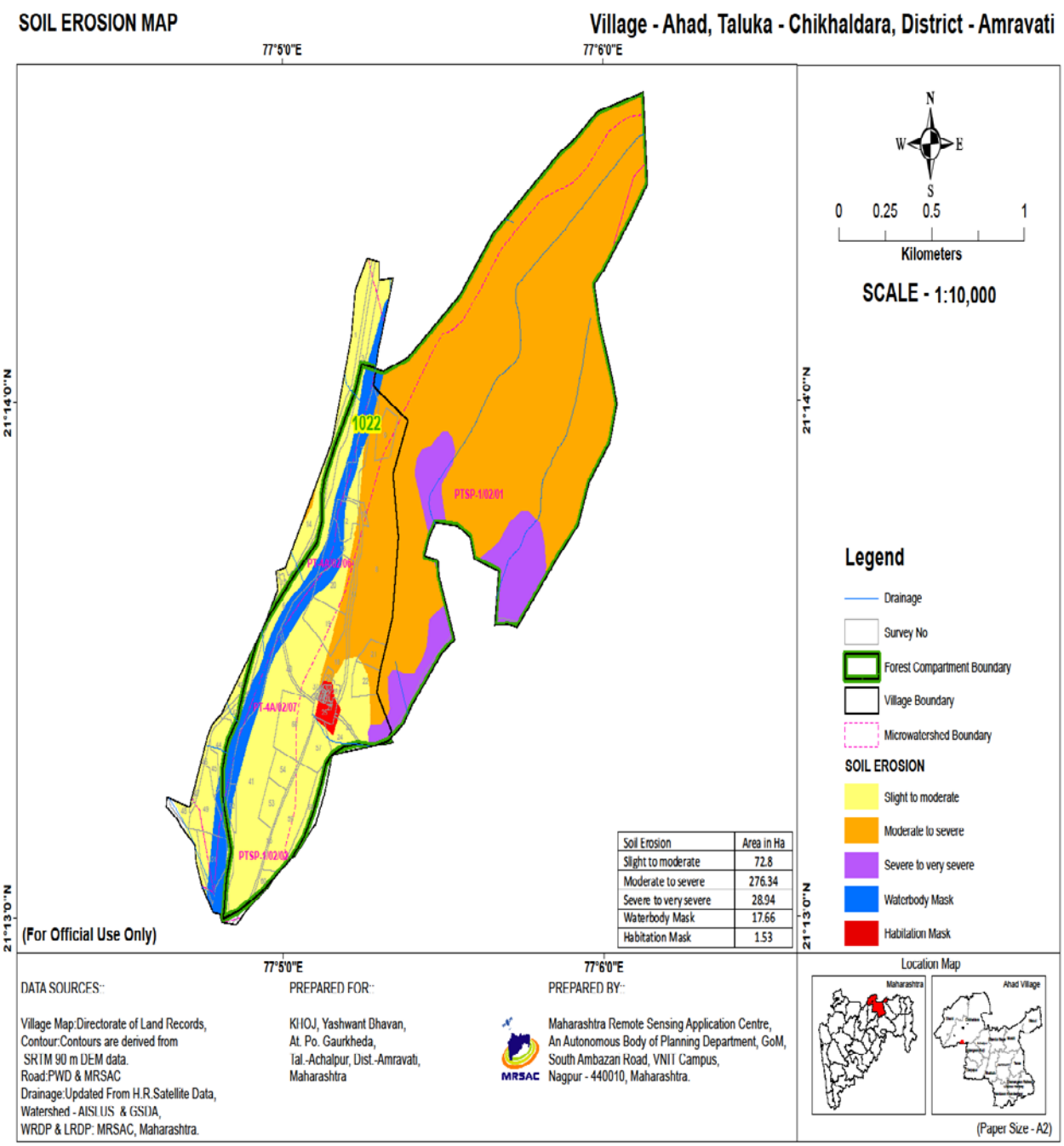

SOIL EROSION MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

Soil Erosion	Area in Ha
Slight to moderate	72.8
Moderate to severe	276.34
Severe to very severe	28.94
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

SOIL DRAINAGE MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

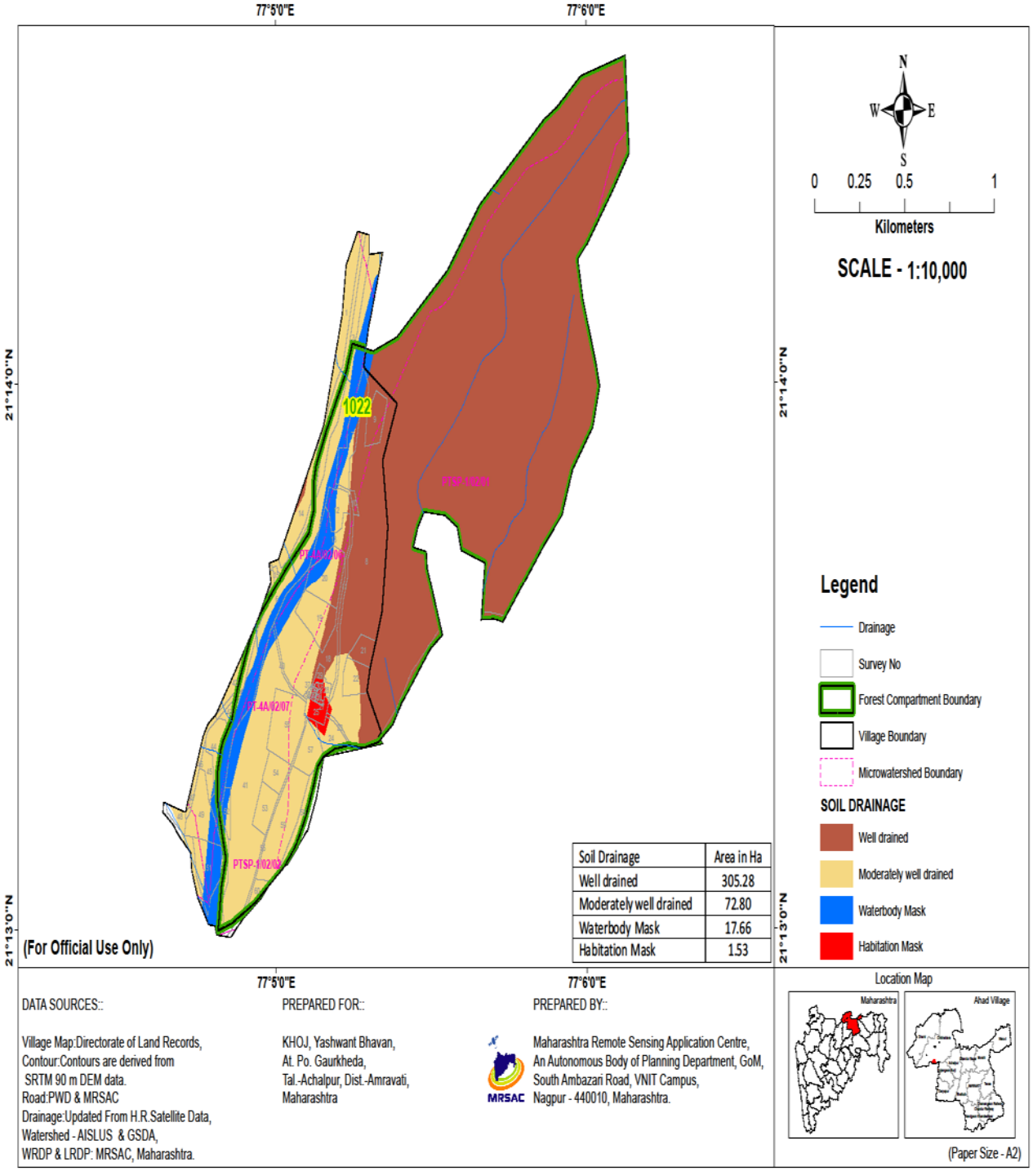

Soil Drainage	Area in Ha
Well drained	305.28
Moderately well drained	72.80
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

(Paper Size - A2)

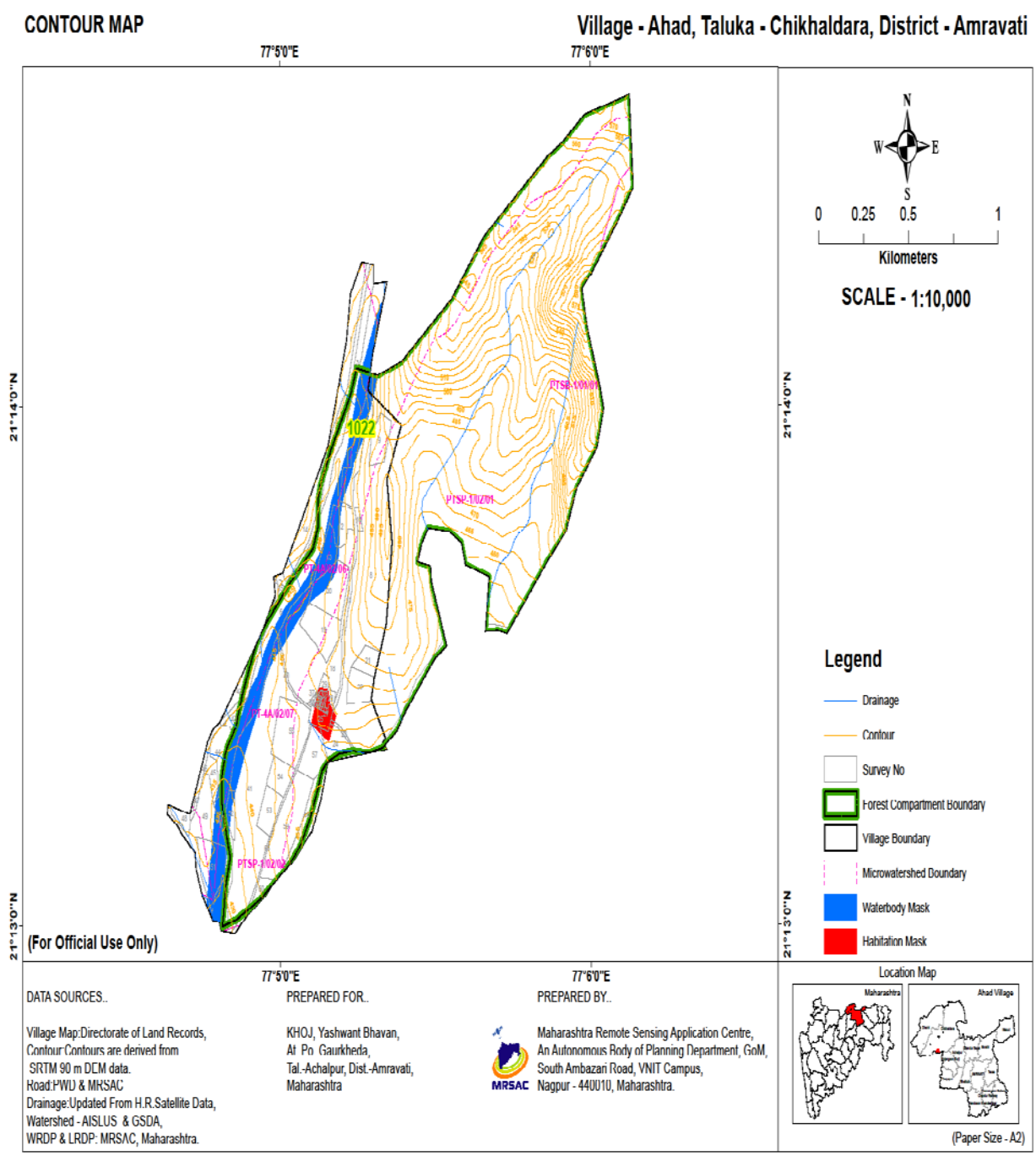

CONTOUR MAP — **Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati**

DATA SOURCES..

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR..

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY..

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

(Paper Size - A2)

SOIL DEPTH MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

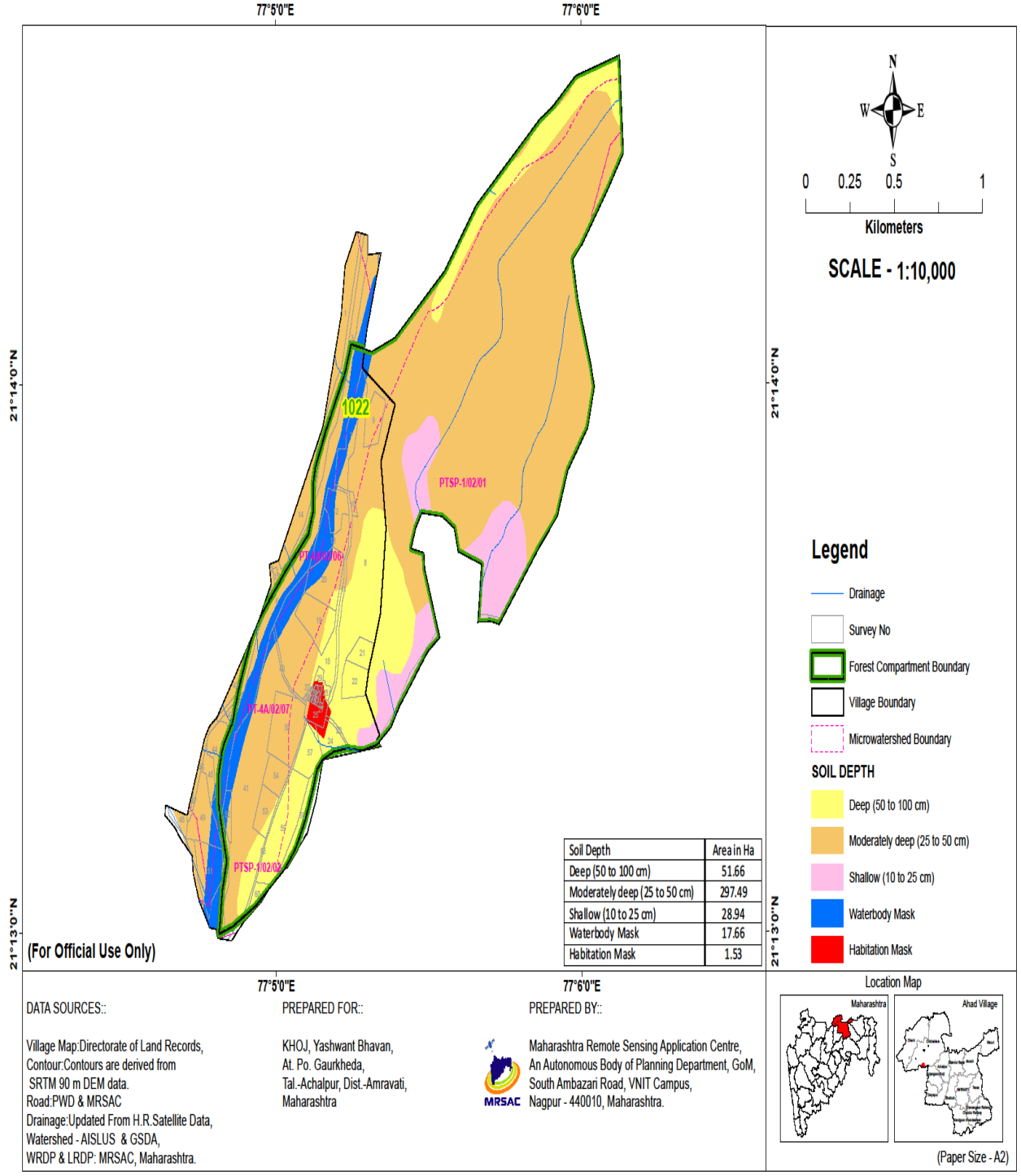

Soil Depth	Area in Ha
Deep (50 to 100 cm)	51.66
Moderately deep (25 to 50 cm)	297.49
Shallow (10 to 25 cm)	28.94
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

(For Official Use Only)

Location Map

(Paper Size - A2)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

SOIL TEXTURE MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

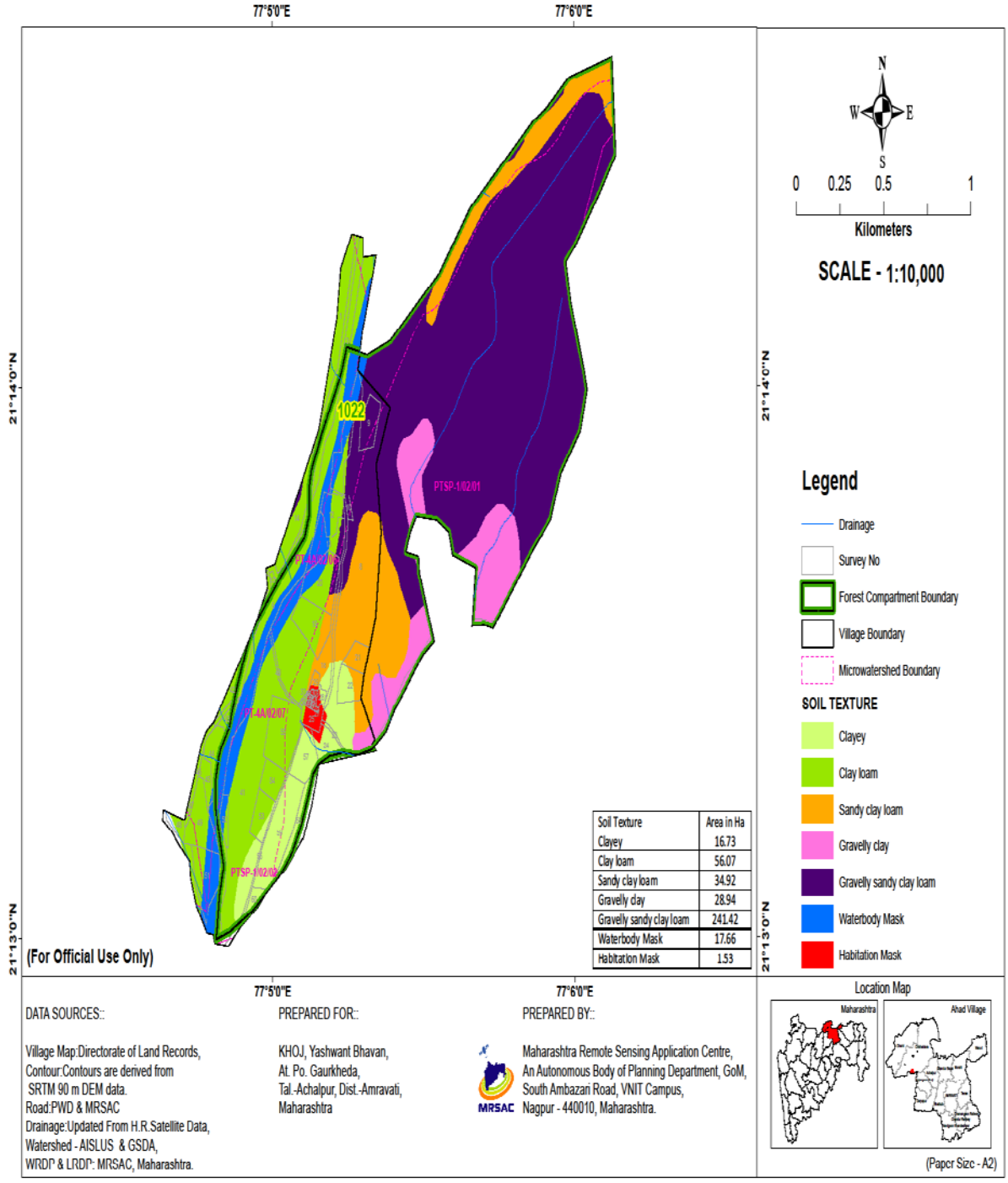

Soil Texture	Area in Ha
Clayey	16.73
Clay loam	56.07
Sandy clay loam	34.92
Gravelly clay	28.94
Gravelly sandy clay loam	241.42
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

Location Map

(Paper Size - A2)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

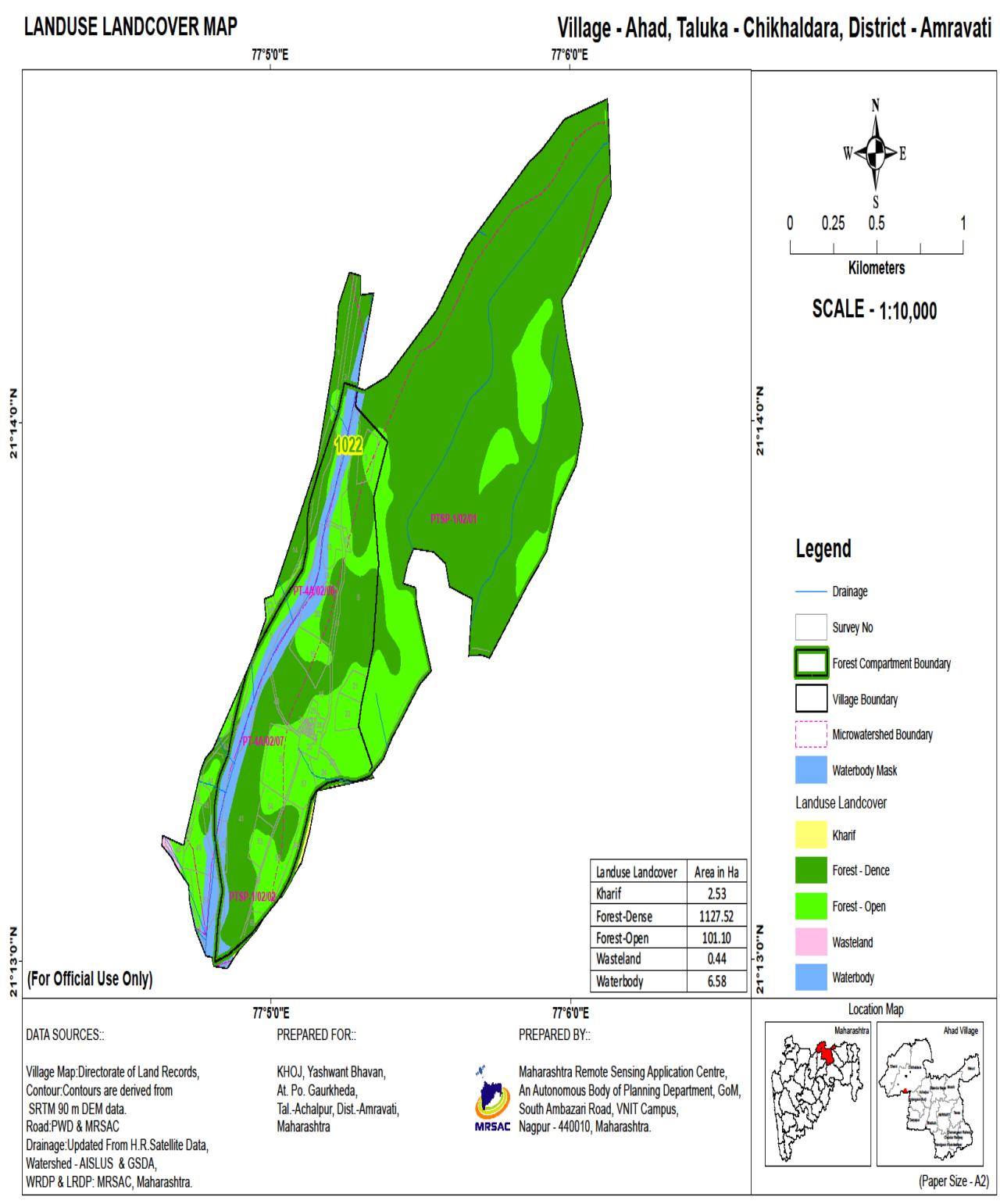

LANDUSE LANDCOVER MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

Landuse Landcover	Area in Ha
Kharif	2.53
Forest-Dense	1127.52
Forest-Open	101.10
Wasteland	0.44
Waterbody	6.58

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

(Paper Size - A2)

SOIL LANDCAPABILITY MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

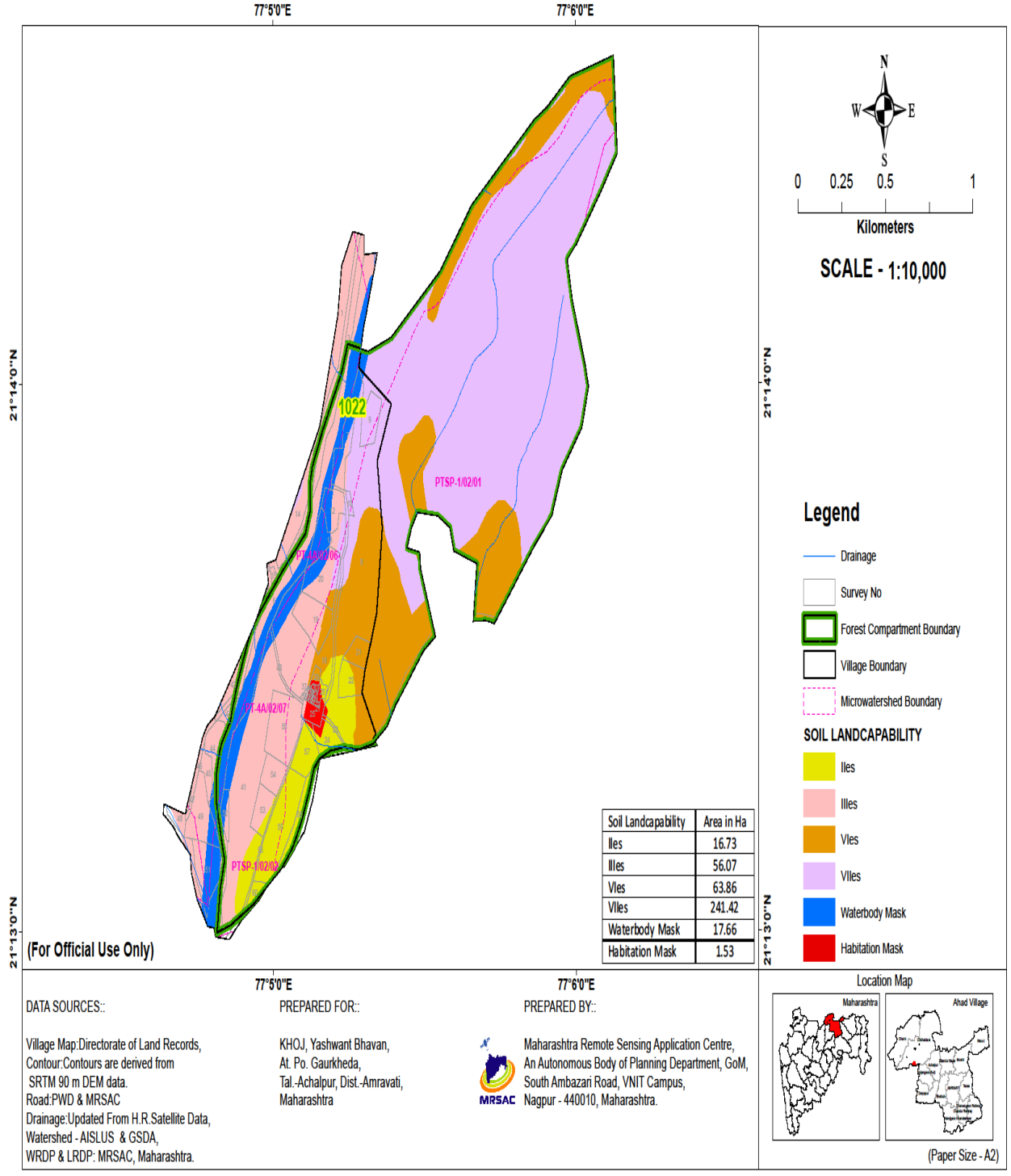

Soil Landcapability	Area in Ha
IIes	16.73
IIIes	56.07
VIes	63.86
VIIes	241.42
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

(Paper Size - A2)

ACTIONPLAN MAP

Village - Ahad, Taluka - Chikhaldara, District - Amravati

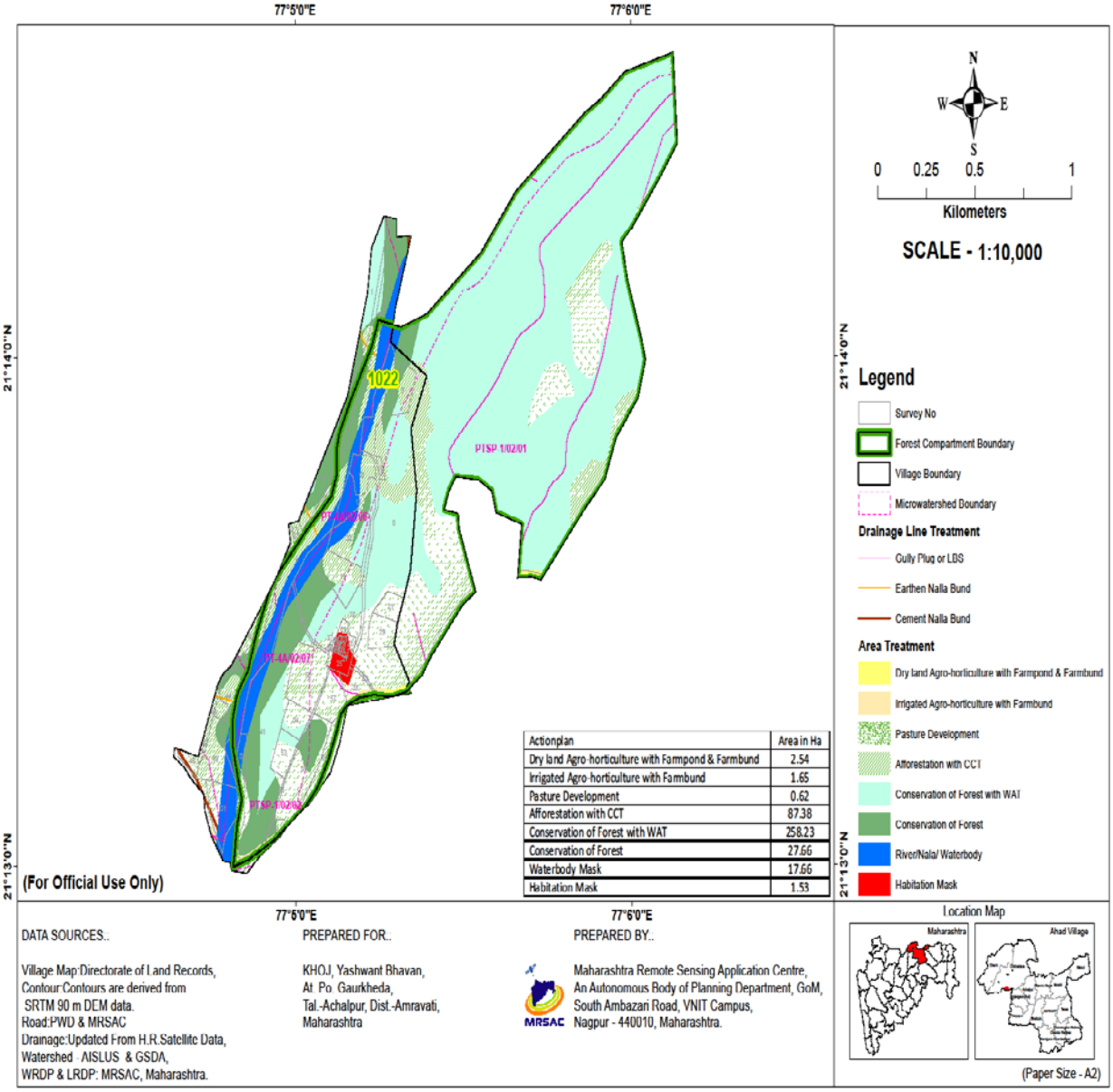

Actionplan	Area in Ha
Dry land Agro-horticulture with Farmpond & Farmbund	2.54
Irrigated Agro-horticulture with Farmbund	1.65
Pasture Development	0.62
Afforestation with CCT	87.38
Conservation of Forest with WAT	258.23
Conservation of Forest	27.66
Waterbody Mask	17.66
Habitation Mask	1.53

DATA SOURCES..

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed : AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR..

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY..

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

(Paper Size - A2)

अहाड गाव का उत्तरी भाग सधन वनों का है तथा पूर्व-पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्र खुला और खेत-जमीन का है।

भू-संरचना : टेकडी, टिले के उतार चढाव का ज्यादातर भाग है, वन क्षेत्र मुख्यतः पहाडीयों का है। जमीन, पथरिली, कंकर, मुरूमाड स्वरूप की, भुरे-लाल रंग की है, निचले भागों में जहाँ खेती होती है काली मिट्टी का बालु युक्त स्वरूप नजर आता है। उतार भागों के कारण वर्षा अधिक हो कर भी पानी तेजी से बह जाता है जिससे भू क्षरण भी होते रहता है।

मौसम : पूरे क्षेत्र की तरह यहाँ का मौसम उष्ण कटीबंधीय स्वरूप का अच्छी वर्षा, बेहतर ठंड तथा काफी गरम मौसम रहता है। जून से सितंबर बारीश, अक्टूबर से जनवरी शितकाल तथा साधारण फरवरी से जून गरमी का मौसम माना जाता है। जिसमें अप्रैल से जून ज्यादा गरमी रहती है। वनों में आग लगने का खतरा इस समय ज्यादा रहता है।

जल संसाधन : बेहतर वर्षा हो कर भी तिव्र उतार क्षेत्र से पानी का बह जाना तथा भू-जल स्तर काफी निचे रहना यहाँ धूपकाले में पानी की कमी रहने की वजह है। अतः सभी जल प्रवाहों पर उपयुक्त बांध गांव तथा खेत तालाब साथ ही वन तालाब बनाने से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। पूरे भू-भाग पर बांध बंदीस्ती, डी.सी.टी/सी.सी.टी करने से भी ज्यादा लाभ मिल सकेगा।

वनः मेलघाट बाघ संरक्षित क्षेत्र की सीमा उत्तरी भाग में है, इस बीच का जंगल भाग बेहतर वनों का है जहाँ सागवान का जंगल-रोपवन होने के साथ स्थानिक विविध वनस्पती-पेड-बेल प्रजातीयाँ काफी प्रमाण में है। जिसमे दुधारी, भिव-या, अमलतास, सालई, टेंभरू, मोखा, चिल्लूर, फाशी, बोसाई, बेल आदी है।

यहाँ काफी उजाड भू-भाग भी नजर आता है, साथ ही वनों में भी विरलता है, जहाँ स्थानिक प्रजातियों का रोपवन कर लघु वनोपजों की उपज ली जा सकेगी जिससे आजीविका सुनिश्चित की जा सकें।

गांव ग्रामसभा की चर्चा तथा नियोजन से वन क्षेत्र का सर्वेक्षण स्टॉक मॅपींग कार्यक्रम बना जिस में अध्ययन समूह तय किया। गांव के जानकार तथा युवक वर्ग के साथ सर्वेक्षण एव स्टॉक मॅपींग की टीम ने तयारी की। उपयुक्त कागद पत्र, आलेख पेपर, चार्ट एवं अन्य साहित्य साथ लिए। गांव बैठक में छोटे नक्शे का आधार लेकर आलेख पेपर पर बडा नकाशा बनाया गया। गांव वालों की चर्चा के आधार पर वन क्षेत्र के 100मी.X100मी. के चौकोन बनाए गये तथा अंको के आधार पर क्षेत्र चौरस भाग का पहचान क्रम निश्चित किया गया। सभी क्षेत्र की अलग-अलग जानकारी प्राप्त करने हेतू 2% के प्रमाण में चौकोन सुनिश्चित किये गये। तथा इस समूह ने प्रत्यक्ष जंगल में जाकर इन विभिन्न स्थानों की स्टॉक मॅपींग की जिससे वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिती समझने हेतू उपयुक्त निम्न जानकारी प्राप्त हुई।

1) **वृक्ष प्रकार** :दुधारी, सागवान, भिव-या, पलास, अमलतास, मुहीनी, नीम, सलाई, धावडा, तेन्दु, मोखा, पिपल, चिल्लूर, फाशी, मेकडा, बोसाई, बेल, फुरफटा.

2) **बेलों के प्रकार** :वाघोटा, अखरेल, वासन, तोंनांन, गुंज, बायेल, काटोले, पिंगवेल.

3) **वन औषधी प्रकार** : जंगली तुलसी, तरोटा, जंगली अद्रक, नीम, लाख.

4)**घास के प्रकार :(झारा = गवत)**1) सगा झारा, 2) फुली झारा, 3) बुडू झारा,4) पोचेटे झारा इ.

5) **झुडुप** :

6)**(कचरा) पौधे अन्य** :रान तुळस (जंगली तुलसी), तरोटा, आगळ्या.

7)**प्राणी** :जंगली सुअर, खरगोश, सांभर, बंदर, हिरण, भालू, नीलगाय.

8) **पक्षी** :तोता, पल्ली, चित्र, टुईटुज, पेचला, भुरी (पारवा,होलगी) पीव (कोयल),मोर, लावा, घुबड (उलुक), कौवा, तितर, निलकंठ, कई विविध रंगो के छोटे पंछी।

9) रेंगने वाले जीव :गिरगिट, घोरपड, साप, छिपकली.

10) प्राणियों की विष्ठा :

वन अध्ययन में नजर आए, पहचाने गये प्राणियों की विष्ठा : सांभर,खरगोश, हिरण, बंदर, भालू, बैल,गाय, भैंस, बकरी इ.

सामूहिक वन अधिकार प्राप्त वनक्षेत्र के वनखंडो में कुल 182 चौकोन चिन्हीत किए गये थे। इनमे से प्रातिनिधिक (नमुना) रूप में 04 चौकोन चुने गये जो क्र.– 40, 80, 120, 160, ऐसे थे। इन के100X100 मीटर क्षेत्र के कुल वन-वृक्ष प्रजातीयों की गणना तथा। औसत अगले तक्तों में दिखाई गई है।

ग्रामसभा : आहाड ता. चिखलदरा

दि. 20 जुन 2017

वनखंड क्र : 1022 क्षेत्र 183 हेक्टर

G.P.S रेडिंग

अंक्षाक :

रेखांश :

1) N-21^0 13.584 E-77^0 05.022 | N-21^0 13.561 E077 05.075

नमुना प्लाट क्र. 40

N-21^0 13.514 E077 05.311 | N-21^0 13.506 E077 05.069

2) N-21^0 14.045 E-77^0 05.311 | N-21^0 14.034 E077^0 05.364

नमुना प्लाट क्र. 80

देवस्थान

1) दैयात बाबा

2) चिती माता

N-21^0 13.993 E077^0 05.314 | N-21^0 13.982 E077^0 05.370

3) N-21^0 13.947 E-77^0 05.533 | N-21^0 13.927 E077^0 05.595

120

N-21^0 13.899 E077^0 05.503 | N-21^0 13.893 E077^0 05.559

4) N-21^0 14.095 E-77^0 05.777 | N-21^0 14.086 E077^0 05.837

160

N-21^0 14.052 E077^0 05.774 | N-21^0 14.034 E077^0 05.831

गांव अहाड के ग्रामवासीयों की वन संसाधनों से जरूरतें

1) अपने पालतू पशुओं की चारे की जरूरतें पूरी होना।

2) घरेलू इस्तेमाल-इंधन हेतू लकडीयों की जरूरतें।

3) आजिविका की जरूरतों के अनुसार कंद, मूल, फल-फूल मिलना।

4) रोजगार-उत्पादन की दृष्टी से नगद प्राप्ती मिलने जैसे लघु वनोपज एकत्रित करना, बिक्री करने के जिए संसाधन उपलब्ध होना।

5) जलस्त्रोतों से प्राप्त आजिविका-भोजन हेतू मछली, खेकडे मिलना।

6) घर की व्यवस्था के लिए गौण खनीज जैसे, मिट्टी, मुरम, पत्थर, रेती आदि मिलना।

7) घर-निवास बनाने की तथा दुरूस्ती की जरूरत साथ खेती कार्य के लिए साधन हल, बक्खर, डवरा, गाडी आदि बनाने के लिए जरूरी लकडी तथा बांस मिलना।

8) वन-संसाधनों को खतरों बचाना एव सुरक्षा के उपाय करना।

प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य

i) वन अधिकार कानून के नियम 5 में दर्शायेनुसार कर्तव्यों का निर्वाह करना।

ii) मृदा एवं जलसंधारण क्षेत्र विकास कार्य पद्धती के अनुसार सामुहिक वन अधिकार के निर्दिष्ट वन क्षेत्र मे मिट्टी एवं जल धारण क्षमता वृद्धी सुनिश्चित करना।

iii) जहाँ पर भी संभव हो, वनीकरण तथा वनों के पुनःनिर्माण कार्य शुरू करना जो वनों की गुणवत्ता तथा आजिवीका को प्रभावित करने वाली उन्नती की दिशा मे हो।

iv) क्षेत्र में नैसर्गिक पुर्ननिर्माण के कार्य चलाना, जो अच्छी नैसर्गिक बढत दिखा सके।

v) लघु वनोपजों के, परिणामकारक संरक्षण, पुनरूनिर्माण एवं प्रबंधन तथा निरंतर उत्पाद मिलने वाले कार्यो को सुनिश्चित करें।

vi) लोगों के चिरंतन रूप से आजिवीका के साधन इस्तेमाल करते हुए वन संसाधनों का दिर्घ कालीन रूप से संवर्धन कार्य भी बढते रहे यह सुनिश्चित करना।

vii) यह भी सुनिश्चित करना की गांव में रहने वालों को आजिवीका के स्त्रोतो का पूरे साल भर उपयुक्त उपलब्धता रहे।

viii) वनो को आग, अतिचराई, तथा चोरीसे सुरक्षित रखना।

ix) लोग-वन-वन्यजीव के सह अस्तित्व के तत्वों को पुनःस्थापित करना।

x) सामुदाय वन प्रबंधन के नियम एवं तत्वों को संस्थान में ढालना।

वन- नियोजन की दिशा

वन संरक्षण : सामूहिक वन अधिकार प्राप्त वन क्षेत्र के संरक्षण की दृष्टी से ग्रामसभा अपने वनों को आग से बचाना, अवैध रूप से चराई एवं वनसंपत्ती की चोरी ना हो इस बाबद उपाययोजना करेगी। इसी तरह बाहरी तस्कर-शिकारीयों से वन-वन्यजीव की सुरक्षा के उपाय गांव समुदाय के नियोजन से करेगी। जहाँ आवश्यकता हो, सरकारी विभाग, वन, वन्यजीव, पुलीस की मदद ली जाएगी।

मुख्य वनोपज का प्रबंधन : मेलघाट क्षेत्र का मुख्य वनोपज सागवान है। ग्राम समुदाय को अपने खेती कार्य के औजार-साधन बनाना, निवास घर, मवेशी के लिए कोठा, घर दुरूस्ती आदि कार्य के लिए मुख्य रूप से सागवान की जरूरत होती है। इसके विकल्प के रूप में लोगों ने स्वयं अथवा सरकारी योजना से लोहे की साधन-सामुग्री का उपयोग शुरू किया है, साथ ही आगे वनों की वृद्धी-संरक्षण की दृष्टी से इन्ही तथा अन्य विकल्प साधन उपयोग में लाने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। तथा मुख्य वनोपज का उत्पाद, इस्तेमाल, संकलन तथा व्यवस्थापन/प्रबंधन की व्यवस्था वैज्ञानिक पर्यावरणपूरक दृष्टी से संबंधित विशेषज्ञ एवं सरकार, वन-विभाग के साथ मिलकर ग्रामसभा समय -समय पर सुनिश्चित करेगी।

जैव-विविधता : गांव की ग्रामसभा अपने वन अधिकार क्षेत्र के सभी प्रकार के वन, वन्यजीव, साधन-संपत्ती, प्रजातीयों का जैव विविधता अध्ययन तथा दस्तावेजीकरण, विशेषज्ञ टीम के साथ करेगी। इस जैव विविधता रजीस्टर के अनुसार भविष्य के साधन-संपत्ती जतन एवं संवर्धन की दिशा-कार्य तय किए जाएँगे।

इंधन : ग्राम समुदाय की इंधन की जरूरत जंगल से लकडीयाँ इकट्ठा कर मुख्य रूप से की जाती है। कुछ प्रमाण में लोग रसोई गॅस (L.P.G)का इस्तेमाल कर रहे है। आगे सरकारी योजना से इस विकल्प को बढावा दे कर वनों का भार कम किया जाएगा। वनों में सूखे-टूटे वृक्ष पेडों की ठहनीयाँ, खराब-टेढे-मेढे एवं बीमार

वृक्षों को वनों की सफाई में निकाला जाएगा तथा ग्राम समुदाय को इसका वितरण ग्रामसभा के ठराव नियोजन अनुसार किया जाएगा।

चारे का प्रबंधन : गांव समुदाय के पालतु पशुओं की जरूरत तथा दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम के अनुरूप वन क्षेत्र में चारा वृद्धी, नए उन्नत किस्म की घास का प्लॅन्टेशन किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त वनक्षेत्र के भाग का चयन कर वहाँ चराई बंदी कर उत्पाद लिए घास-चारे का वितरण वाटप ग्रामसभा निश्चित करेगी। साथ ही चराई हेतू खुला क्षेत्र भी निर्धारित कर नियोजित चराई करना तय किया जाएगा।

बांस का उत्पादन : ग्रामसभा अपने नियोजीत क्षेत्र में बांस के रोपवन लगाने-बढाने तथा उसके उपचार कार्य योग्य मार्गदर्शन से करेगी तथा समय अनुसार उसका संकलन, लोगों की जरूरत अनुसार वितरण, विक्रय का कार्यक्रम बनाएगी तथा संचालित करेगी।

लघु-वनोपज : गांव के सामुहिक वन अधिकार क्षेत्र के लघु-वनोपज का प्रबंधन, जिसमें नए मिश्र-प्रजाती के रोपवन लगाना, उनका संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पाद संकलन तथा उसका इस्तेमाल एवं विक्रय ग्राम समुदाय की जरूरतों के अनुसार ग्रामसभा चर्चा कर निश्चित करेगी तथा नियोजन अनुसार प्रबंधन किया जाएगा।

संसाधन- आरेखन की पद्धती

प्रबंधन नियोजन का साहस पूर्ण कदम उठाने से पूर्व क्षेत्र के वन संसाधनो की वर्तमान स्थिती उपलब्धता, अस्तित्व तथा अंतर (फर्क) एवं जरूरतों की समझ बनाना जरूरी था। वन संसाधनों की गिनती - यादी बनाने की प्रक्रीया चलानें हेतु निम्न तरीके चलाये गये :

* समूहिक वन - अधिकार के क्षेत्र का सीमांकन स्थानिय वन - अधिकारीयों की सहायता से सुनिश्चित किया गया।
* ग्राफ पेपर पर क्षेत्र का मानचित्र प्रति 1 हेक्टेअर के विभाजीत स्वरूप में दर्शाये जाने के रूप में रेखांकित किया।
* 2%नमुने की पहचान का सुनिश्चितीकरण सुनियोजीत नमुनाकरण एवं चतुर्थांस क्षेत्र के आधार पर तय किया जिससे पूरा क्षेत्र गणन प्रक्रीया में शामिल किया जा सकें। यह चतुर्थांस क्षेत्र के जमीन पर रेखांकित कर गिनती की प्रक्रिया पूरी की गई।
* जी.पी.एस. द्वारा निर्धारित चतुर्थांश क्षेत्र की सीमाओं को तात्कालिक रूप से पत्थर आदि रखकर चिन्हीत किया जिससे चारों चतुर्थांस क्षेत्र का सिमांकन आसान हो। प्रत्येक पेड को रंगो द्वारा चिन्हीत किया गया ताकी गणना में उसे दोबारा न गिना जाए। इस प्रक्रीया में ग्राम सभा द्वारा तय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

प्रबंधन नियोजन प्रक्रीया

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्रों का प्रबंधन नियोजन वन अधिकार कानून के तहत ग्रामसभाओं को करना है। देश में अधिकार प्राप्त करने के बाद कुछ ग्रामसभायें इस जिम्मेदारी को निभाने में अग्रसर हो रही है। बहुत लंबे समयतक वनों के प्रबंधन में समुदायों की कोई भूमिका नहीं रही। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार कानून (पेसा) तो था परंतु राज्य में नियमोके नही होने से जो अधिकारों के लिये जुट पाये, उन्ही तक यह सीमित रह गयें। सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता के पश्चात वन प्रबंधन में समूहों की सहभागिता का परंपरागत इतिहास पुनर्जिवित करने का प्रयत्न अब अधिक सुलझे और सुस्पष्ट नियम एवं तत्व होने के कारण मुमकिन हो रहा है। निम्न दर्शायें पद्धतीसे प्रबंधन नियोजन की यह प्रक्रिया आगे बढेंगी ग्रामसभा के साथ परिचर्चा तथा अनुबंध के आधार पर नियोजन तयार करने का कार्य स्थानिय संघटनाओं के सहायता से किया जाएगा।

- गांव से 4 (1)(ई) के तहत बनी समिती सदस्यों का क्षमता वर्धन किया जाएगा।
- सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त अन्य इलाको में उनके प्रयत्नों एवं सीख को समझाने के लिये अभ्यास/मुलाकातों का नियोजन।
- गांव से संबंधित नक्शो एवं दस्तोवेजो का संकलन।
- सीमाओं का चिन्हीत सुनिश्चितीकरण।
- 0 - 2 % नमुना क्षेत्र के साधनों का अनुसूचिकरण।
- SMCकार्य आयोजना हेतू सर्वेक्षण एवं नियोजन तयार करना।
- स्थानिय जैव विविधता सूचिबद्ध करने की प्रक्रिया आगे बढाना।
- लिखीत-प्रबंधन नियोजन प्रस्ताव दस्तावेज तयार करना।
- ग्रामसभा के साथ उनकी प्रतिक्रीया सुझाव जानने हेतू जानकारी चर्चा साझा करना।
- मुख्य वन संरक्षक, परियोजना अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिलाधिकारी के साथ-सभी शासकियविभाग की योजनाओं का एककेंद्री कार्यक्रम बनने हेतू चर्चा कर अंतिम नियोजन करना।

भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)

ग्रामसभा अहाड

आज दि. 30/07/2017 ठिक 6:00 बजे शाम को श्री. बिसराम बाबु दारसिंबे इनकी अध्यक्षता मे अहाड ग्रामस्थोंकी ग्रामसभा हुई इस बैठक में उपस्थितों ने चर्चा कर निम्न विषय सुझाये जो कि, वनखंड क्र.1022 में किए जाए। साथ ही गांव के अन्य सुधार व जरूरतों की पूर्ति के लिए भी मुद्दे सुझाए गये।

183 हेक्टर क्षेत्र मे किए जाने योग्य कार्य :

1)पेड, वृक्ष रोपणः 50 हेक्टर क्षेत्र

सिताफल, आवला, टेमरू, आम, इमली, महुआ, चारोली, जामुन, हिरडा, कोयलारी (अमलतास) भिलावा, तथा बांस लगाना.

2) वन तालाब :

3) नाला पत्थर बांध : 150 स्थानों पर

4) सिमेंट बांध : 05 स्थानों पर

5) पाझर तालाब :

6) जाली के पत्थर बांध :

7)T. C. M

8)C.C.T. WAT

9)रायमुनीया उच्चाटन (पूरे क्षेत्र में)

10) निरिक्षण मनोरा (Watching Tower)

ग्रामसभा द्वारा:गांव के सामुहिक वन संरक्षण, पुनरूज्जीवन तथा प्रबंधन के लिए बनाए रूपरेखा पर दर्शाए शाश्वत (चिरंतन) वन प्रबंधन करना तथा इस हेतू संभावित खतरों को कम करना इस दिशा मे ग्रामसभा द्वारा क्या किया जाना जरूरी है।

- मिश्र वृक्ष प्रजातियों का रोप वन बढाना।
- पालतू पशुओ के लिए चारा निर्मिती।
- मिट्टी तथा पानी बचाना, संधारण कार्य जिनमें, तलाव, बांचध, आदि बनाने का नियोजन।
- इंधन हेतू वनों में सूखी, टूटी टहनी की लकडीयाँ तथा विरली करण (थिनिंग) से निकाली लकडीयों का ही इस्तेमाल करने हेतू गांव को सचेत करना।
- प्रत्येक ग्रामिण को वन संपत्ती विषयक जिम्मेदारी स्विकार करे ऐसी समझ विकसीत करने का निरंतर प्रयास।
- नैसर्गिक वर्तमान वृक्ष प्रजातियों का प्रबंधन।
- वनों की कटाई, चराई, शिकार, तथा आग से बचाने का प्रबंध करना।
- गांव में शराब बंदी करना।

- इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतू ग्रामसभा ने नियम बनाना एव उसका पालन करना।
- नियम भंग होने पर ग्रामसभा द्वारा क्या उपाय दंड आदि व्यवस्था होगी यह निश्चित करना।

ग्रामसभाद्वारा गांव की अन्य जरूरतों की पूर्ती एव सुविधा निर्मिती हेतू किए जा सकने वाले प्रयत्न उपक्रम

अ)सार्वजनिक :

- दफन भूमी, श्मशान भूमी पोहोच मार्ग।
- खेती के पांदण मार्ग।
- पीने का पानी, नल योजना।
- पालतू पशु को गांव मे पीने के पानी हेतू टाकी (धर्माळे) बांधना।
- गांव गलीयों के सिमेंट रोड बनाना।
- ग्रामसभा हेतू समाज भवन, सभागृह।
- गांव की बढती जरूरतों के मुताबिक जगह निर्धारित कर शाला हेतू वर्ग खोलीयाँ बनवाना तथा आज जो है उनकी दुरूस्ती करवाना।
- अंगनवाडी केन्द्र इमारत बनवाना।
- व्यायाम शाला शुरू करना।
- मत्स्यपालन ग्रामसभा द्वारा चलाना।
- गांवठाण की जगह।
- तहसील मुख्यालय चिखलदरा हेतू बस सेवा शुरू करवाना।

ब) वैयक्तिक :

- जिन्हे रेशन कार्ड नही उनके रेशन कार्ड बनवाना।
- रसोई इंधन के लिए रसोई गॅस (LPG) सभी जरूरतवाले परिवार को कनेक्शन तथा वितरण व्यवस्था का प्रबंध उपयुक्त योजनाओं से करवाना।
- लाभार्थी हेतू निराधार योजना।
- लाभार्थी हेतू श्रावणबाळ योजना।
- घरकुल योजना।
- विधवा पेन्शन योजना।

नियम तथा दस्तावेजी नोंद

'ग्रामसभा' यह गांव मे निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है जिसमे गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग, सदस्य के रूप में समाविष्ट है।
सभी निर्णय जो नितिगत एवं कार्य क्रियान्वयन से संबंधित है। ग्रामसभा मे लिए जाएगे। ग्रामसभा द्वारा लिए गये निर्णयो के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी, वन अधिकार कानून के भाग-5 के तहत ग्रामसभा द्वारा गठीत विभाग 4 (1)(ई) की समिती पर रहेगी या अन्य समितियाँ जिन्हे ग्राम सभा चुनेंगी, वे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।

- ग्रामसभा का संयुक्त रूप से बँक खाता रहेगा जिसे 4 (1)(ई) की समिती के कार्य प्रबंध करने वाले सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा। बँक खाता संचलित करने वाले स्वाक्षरीकर्ता में कम से कम एक शिक्षित महीला सदस्य रहेगी।
- आवश्यकता होने पर सरकारी निधि के लिये ग्रामसभा का एक सरकारी खाता भी होगा जिसे 4 (1)(ई) के सदस्य तथा सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य द्वारा संचालित किया जायेगा।
- ग्रामसभा प्रति माह कम से कम एक बैठक संपन्न करेगी। इसके अलावा वे जब भी जरूरी समझे अधिक बार सभा करेगी। किसी भी आपात्कालीन परिस्थीती में ग्रामसभा 24 घंटे पूर्व सूचना देकर बुलाई जाएगी, जो नोटीस तथा दवंडी दोनो स्वरूप में सूचित करेगी।
- ग्रामसभा की बैठक उपर दर्शायी समिती के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित की जाएगी अथवा ग्रामसभा के कम से कम 25 सदस्यों की मांग होने पर ग्रामसभा बुलाई जाएगी।
- ग्रामसभा का अपना कार्यालय होगा, जिसमें सामुहिक वन अधिकार से संबंधित रजिस्टर, रेकॉर्ड, दस्तावेज नियमित जानकारी को पूर्ण रखते हुए बँक की किताबे, पासबुक तथा अन्य इससे संबंधित दस्तावेज रखे जाएगे।
- ऑडिट (लेखा परिक्षण) के वित्तीय पध्दतियों के अनुसार ग्रामसभा प्रतिवर्ष अपने हिसाब का ऑडिट कराएगी।

विवादों का निराकरण

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को वन विभाग के सर्वेक्षणकर्ता तथा ग्रामसभा और वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर निश्चित किया गया।

सभी अंतर्गत विवाद ग्रामसभा मे सुलझायें जाएंगे।

गांव से जुडे सभी बाहरी विवाद ग्रामसभा में सुलझाये जाएंगे। यदि दो गांव की सीमाओं से संबंधित कोई विवाद उपस्थित होता है तो इसे संबंधीत ग्रामसभाओं की संयुक्त बैठक मे सुलझाया जाएगा।

चोरी अथवा हिंसा से संबंधित सभी निर्णय ग्रामसभा द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार एक समान रूप से ग्रामसभा करेंगी। ग्रामसभा का निर्णय बंधनकारक तथा अंतिम रहेगा।

ऐसे मामले में जब वन या वन की सीमा सें संबंधित गांव से बाहरी कोई मामला जो ग्रामसभा मे नही सुलझ रहा हो, हल निकालने के लिए उपवन संरक्षक (DCF) की ओर भेजा जाएगा। उपवन संरक्षक ग्रामसभा के साथ विचार विमर्श कर इसपर निर्णय लेंगे।

परिशिष्ट 1 : सुक्ष्म नियोजन

MICRO - PLANNING (ABSTRACT)

Name of Village :- Ahad, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

S.N.	Micro Net Planning	Area	Area Treatment & Planning							
		ha.	Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ahad**	37.75	Graded Bunding (G.B.)	37.75 Ha	6228.75	1.05	**6540.19**	98.28	Cum	642769.63
	(Private land)		Waste Weir (W.V.)	113			**113**	306.53	Nos	34714.52
			Field Drain (F.D.)		1132.50	0.54	**611.55**	59.95	Cum	67893.38
			Farm Pond's	2			**2.00**	100000.00	Nos	200000.00
			Plantion	7.00			**7.00**	100000.00	Ha	700000.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	5.00	1000.00	1.00	**5.00**	27290.00	Ha	136450.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	65	617.5	0.75	**463.13**	235.00	Cum	108834.38
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	20	190.00	1.50	**285.00**	235.00	Cum	66975.00
			Contineous Stone Bunding (800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)	3.00	2400.00	0.36	**864.00**	159.00	Cum	137376.00
	Total	**37.75**								**2095012.90**
2	**Ahad**	189.000	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	15.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	600000.00
	(Forest land)		Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	12.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	480000.00
	Comp.1022		Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	18.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	720000.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	40	10000.00	1.00	**40.00**	27290/ Ha.	Hector	1091600.00
			WAT'S (400 Rmt / Hector)	60	16000.00	1.00	**60.00**	53661/ Ha.	Hector	3219660.00
			DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	20	12680.00	0.27	**20.00**	22923/ Ha.	Hector	458460.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	35	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	45	427.50	1.50	**45.00**	235/Cum	Nos	150693.75
			Contineous Stone Bunding	4	3200.00	0.36	**4.00**	159/Cum	Hector	183168.00

			(800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)							
			Van-Ponds (20x20x3)	4			**4.00**	132903/ No	Nos	531612.00
			Gabion Structure **(G.S.)**	30	285.00	1.45	**30.00**	962/Cum	Nos	397546.50
			Plantation	10.00			**10.00**	190000.00	Hector	1900000.00
	Total	**189.00**								**9791343.38**
	Total	**226.75**								**11886356.28**
			Contengencies 3%							356590.69
			Labour Facilities 4.7%							558658.74
			Total							**12801605.71**
In Words - Rs One Crore Twenty Eight Lacs One Thousand Six Hundred Only									**Say RS**	**12801600.00**

MICRO - PLANNING (YEARWISE)

Name of Village :- Ahad, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

S.N.	Micro Net Planning	Area	Area Treatment & Planning							
		ha.	Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ahad**	**37.75**	Graded Bunding (G.B.)	37.75 Ha	6228.75	1.05	**6540.19**	98.28	Cum	642769.63
	(Private land)		Waste Weir (W.V.)	113			**113**	306.53	Nos	34714.52
			Field Drain (F.D.)		1132.50	0.54	**611.55**	59.95	Cum	67893.38
				Total	**7361.25**					**745377.53**
Area Treatment & Planning year- 2										
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	5.00	1000.00	1.00	**5.00**	27290.00	Ha	136450.00
			Plantion	7.00			**7.00**	100000.00	Ha	700000.00
			Contineous Stone Bunding	3.00	2400.00	0.36	**864.00**	159.00	Cum	137376.00
			(800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)							
				Total	**3400.00**					**973826.00**
Area Treatment & Planning year- 3										
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	65	617.50	0.75	**463.13**	235	Cum	108834.38
			Loose Boulder Structure (1.0 Ht)	20	190.00	1.50	**285.00**	235	Cum	66975.00
			Farmponds (20x20x3mtr)	2			**2.00**	100000.00	Nos	200000.00
				Total	**807.50**					**375809.38**
	Total	**37.750**	**(Ist+Iind+IIIrd year)**		**11568.75**					**2095012.90**
Area Treatment & Planning year- 1										
2	**Ahad**	**189.00**	DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	10	6340.00	0.27	**10.00**	22923/ Ha.	Hector	229230.00
	(Forest land)		WAT'S (200 Rmt / Hector)	20	10000.00	1.00	**20.00**	27290/ Ha.	Hector	545800.00
			Plantation	10.00			**10.00**	190000	Hector	1900000.00
				Total	**16340.00**					**2675030.00**

Area Treatment & Planning year- 2										
			DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	10	6340.00	0.27	**10.00**	22923/ Ha.	Hector	229230.00
			Contineous Stone Bunding (800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)	4	3200.00	0.36	**4.00**	159/Cum	Hector	183168.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	20	10000.00	1.00	**20.00**	27290/ Ha.	Hector	545800.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	15.00		**1.00**	40000/ Rmt	Nos	600000.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	12.00		**1.00**	40000/ Rmt	Nos	480000.00
				Total	**19567.00**					**2038198.00**
Area Treatment & Planning year- 3										
			WAT'S (400 Rmt / Hector)	60	16000.00	1.00	**60.00**	53661/ Ha.	Hector	3219660.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	35	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	45	427.50	1.50	**45.00**	235/Cum	Nos	150693.75
			Van-Ponds (20x20x3)	4			**4.00**	132903/ No	Nos	531612.00
			Gabion Structure **(G.S.)**	30	285.00	1.45	**42.00**	962/Cum	Nos	397546.50
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	18.00		**1.00**	40000/ Rmt	Nos	720000.00
				Total	**17045.00**					**5078115.4**
	Total	**189.00**	**Total (Forest Land)**		**52952.00**					**9791343.4**
	Total	**226.75**	**Total (Private+Forest))**		**64520.75**					**11886356.3**
Contengencies 3%										**356590.69**
Labour Facilities 4.7%										**558658.74**
									Total	**12801605.7**
									Say Rs	**12801600.0**

MICRO - PLANNING

Information of proposed work on the forest land

Name of Village :- Ahad, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

SN	Micro Net Planning	Details of Area		Classification of Soil & Land						Area Treatment & Planning						
	Comp. No.	Ha.		Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses & Capability	Proposed Work	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**1022**	189.00		GSCL	D2	F	S2	E2	VIIes	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	15.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	600000.00
										Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	12.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	480000.00
										Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	18.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	720000.00
										WAT'S (200 Rmt / Hector)	8000.00	1.00	**40.00**	27290/Ha	Hector	1091600.00
										WAT'S (400 Rmt / Hector)	24000.00	1.00	**60.00**	53661/Ha	Hector	3219660.00
										DCT (634 Rmt / Hector)	12680.00	0.27	**20.00**	22923/Ha	Hector	458460.00
										Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
										Loose Boulder Structure (1.00 Ht)	427.50	1.50	**45.00**	235/Cum	Nos	150693.75
										Contineous Stone Bunding	3200.00	0.36	**4.00**	159/Cum	Hector	183168.00
										(800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)						
										Van-Ponds (20x20x3)			**4.00**	132903/No	Nos	531612.00
										Gabion Structure **(G.S.)**	285.00	1.45	**30.00**	962/Cum	Nos	397546.50
										Plantation			**10.00**	190000	Hector	1900000.00
														TOTAL		**9791343.4**
	In comp.no.1022 plantation work completed in 25.0 hector under MGNREGS.															

MICRO - PLANNING

Name of Village :- Ahad, Taluka :- Chikhaldara, District :- Amravati

S. N	Micro Net Planning	Details of Area		Classification of Soil & Land						Area Treatment & Planning					
	Beneficiary Name	Gat. No	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses Capability	Proposed Work	Length	Section	Quantity	Rate	Amount
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Nandulal Thuna Tandil and other	28	0.30	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	49.50	1.05	51.98	98.28	5108.10
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	275.88
										Field Drain (F.D.)	9.00	0.54	4.86	59.95	539.55
	Total														**5923.53**
		35	0.04	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	6.60	1.05	6.93	98.28	681.08
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.20	0.54	0.65	59.95	71.94
	Total														**1059.55**
		44	1.51	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	249.15	1.05	261.61	98.28	25710.79
										Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1388.58
										Field Drain (F.D.)	45.30	0.54	24.46	59.95	2715.74
	Total														**29815.10**

2	Sitaram Tanu Belsere	19/1	1.34	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	221.10	1.05	232.16	98.28	22816.19
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1232.25
										Field Drain (F.D.)	40.20	0.54	21.71	59.95	2409.99
	Total														**26458.43**
		36	0.03	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	4.95	1.05	5.20	98.28	510.81
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	0.90	0.54	0.49	59.95	53.96
	Total														**871.30**
3	Shantu Nankya Dahikar and other	1	1.44	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	237.60	1.05	249.48	98.28	24518.89
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1324.21
										Field Drain (F.D.)	43.20	0.54	23.33	59.95	2589.84
	Total														**28432.94**
		3	1.03	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	169.95	1.05	178.45	98.28	17537.82
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	947.18
										Field Drain (F.D.)	30.90	0.54	16.69	59.95	1852.46
	Total														**20337.45**
4	Sunil Babya kasdekar	38	0.04	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	6.60	1.05	6.93	98.28	681.08

										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.20	0.54	0.65	59.95	71.94
	Total														**1059.55**
		55	4.16	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	686.40	1.05	720.72	98.28	70832.36
										Waste Weir (W.V.)	12		12	306.53	3825.49
										Field Drain (F.D.)	124.80	0.54	67.39	59.95	7481.76
	Total														**82139.62**
5	Shivkumar Shivlal Kasdekar and other	10	0.21	GS CL	D2	2	S1	E2	VIIes	Graded bunding (G.B.)	34.65	1.05	36.38	98.28	3575.67
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	193.11
										Field Drain (F.D.)	6.30	0.54	3.40	59.95	377.69
	Total														**4146.47**
		12	1.45	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	239.25	1.05	251.21	98.28	24689.16
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1333.41
										Field Drain (F.D.)	43.50	0.54	23.49	59.95	2607.83
	Total														**28630.40**
6	Shankar Buda Dahikar	29	0.28	HCL	D2	2	S1	E1	VIes	Graded bunding (G.B.)	46.20	1.05	48.51	98.28	4767.56
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	257.49

										Field Drain (F.D.)	8.40	0.54	4.54	59.95	503.58
	Total														**5528.63**
		31	0.05	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	8.25	1.05	8.66	98.28	851.35
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.50	0.54	0.81	59.95	89.93
	Total														**1247.81**
		7	2.40	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	396.00	1.05	415.80	98.28	40864.82
										Waste Weir (W.V.)	7		7	306.53	2207.02
										Field Drain (F.D.)	72.00	0.54	38.88	59.95	4316.40
	Total														**47388.24**
7	Ganfulal Bhilya Kasdekar and other	23	3.03	C	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	499.95	1.05	524.95	98.28	51591.84
										Waste Weir (W.V.)	9		9	306.53	2786.36
										Field Drain (F.D.)	90.90	0.54	49.09	59.95	5449.46
	Total														**59827.65**
		32	0.05	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	8.25	1.05	8.66	98.28	851.35
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.50	0.54	0.81	59.95	89.93
	Total														**1247.81**

8	Mhating Kamji and other	26	0.02	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	3.30	1.05	3.47	98.28	340.54
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	0.60	0.54	0.32	59.95	35.97
	Total														**683.04**
9	Biharilal Bhaiyyyal al Dahikar and other	54	1.35	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	222.75	1.05	233.89	98.28	22986.46
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1241.45
										Field Drain (F.D.)	40.50	0.54	21.87	59.95	2427.98
	Total														**26655.89**
10	Chaitaram Sakharam Chilatre and other	39	0.10	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	16.50	1.05	17.33	98.28	1702.70
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	3.00	0.54	1.62	59.95	179.85
	Total														**2189.08**
		49	2.80	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	462.00	1.05	485.10	98.28	47675.63
										Waste Weir (W.V.)	8		8	306.53	2574.85
										Field Drain (F.D.)	84.00	0.54	45.36	59.95	5035.80
	Total														**55286.28**
11	Ramkali Shriram and other	52	0.65	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	107.25	1.05	112.61	98.28	11067.56

										Waste Weir (W.V.)	2		2	306.53	597.73
										Field Drain (F.D.)	19.50	0.54	10.53	59.95	1169.03
	Total														**12834.32**
12	Pandurang Babnu Belsere	33	0.04	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	6.60	1.05	6.93	98.28	681.08
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.20	0.54	0.65	59.95	71.94
	Total														**1059.55**
		9	1.52	GS CL	D2	2	S1	E2	VIIes	Graded bunding (G.B.)	250.80	1.05	263.34	98.28	25881.06
										Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1397.78
										Field Drain (F.D.)	45.60	0.54	24.62	59.95	2733.72
	Total														**30012.55**
13	Babu Aatu Chilatre	34	0.03	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	4.95	1.05	5.20	98.28	510.81
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	0.90	0.54	0.49	59.95	53.96
	Total														**871.30**
14	Biharilal Bhaiyyalal Dahikar and other	59/1	2.43	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	400.95	1.05	421.00	98.28	41375.63
										Waste Weir (W.V.)	7		7	306.53	2234.60

										Field Drain (F.D.)	72.90	0.54	39.37	59.95	4370.36
	Total														**47980.59**
15	Narbada Tulshiram Belsere and other	59/2/A	1.43	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	235.95	1.05	247.75	98.28	24348.62
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1315.01
										Field Drain (F.D.)	42.90	0.54	23.17	59.95	2571.86
	Total														**28235.49**
16	Motilal Buda Kasdekar	53/2	1.00	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	165.00	1.05	173.25	98.28	17027.01
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	919.59
										Field Drain (F.D.)	30.00	0.54	16.20	59.95	1798.50
	Total														**19745.10**
17	Maniram Tanu Belsere	19/2	1.34	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	221.10	1.05	232.16	98.28	22816.19
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1232.25
										Field Drain (F.D.)	40.20	0.54	21.71	59.95	2409.99
	Total														**26458.43**
18	Madhukar Hiralal Kasdekar	59/2/B	1.00	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	165.00	1.05	173.25	98.28	17027.01
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	919.59
										Field Drain (F.D.)	30.00	0.54	16.20	59.95	1798.50
	Total														**19745.10**

19	Revenue Department	51	2.52	CL	D2	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	415.80	1.05	436.59	98.28	42908.07
										Waste Weir (W.V.)	8		8	306.53	2317.37
										Field Drain (F.D.)	75.60	0.54	40.82	59.95	4532.22
	Total														**49757.65**
20	Shriram Babu Kasdekar	57	1.34	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	221.10	1.05	232.16	98.28	22816.19
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1232.25
										Field Drain (F.D.)	40.20	0.54	21.71	59.95	2409.99
	Total														**26458.43**
21	Kisam Madhai Kasdekar	21	1.10	SCL	D1	2	S1	E2	VIes	Graded bunding (G.B.)	181.50	1.05	190.58	98.28	18729.71
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	1011.55
										Field Drain (F.D.)	33.00	0.54	17.82	59.95	1978.35
	Total														**21719.61**
		30	0.10	CL	D2	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	16.50	1.05	17.33	98.28	1702.70
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	3.00	0.54	1.62	59.95	179.85
	Total														**2189.08**
		37	0.04	CL	D2	2	S1	E1	IIIes	Graded bunding (G.B.)	6.60	1.05	6.93	98.28	681.08

										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	1.20	0.54	0.65	59.95	71.94
	Total														**1059.55**
22	Ramkisan Buda Kasdekar	22	1.58	C	D1	2	S1	E1	IIes	Graded bunding (G.B.)	260.70	1.05	273.74	98.28	26902.68
										Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1452.95
										Field Drain (F.D.)	47.40	0.54	25.60	59.95	2841.63
	Total														**31197.26**
	Total		**37.75**							**Graded bunding (G.B.)**	6228.75	**1.05**	**6540.19**	**98.28**	**642769.63**
										Waste Weir (W.V.)	113		**113**	**306.53**	**34714.52**
										Field Drain (F.D.)	1132.50	**0.54**	**611.55**	**59.95**	**67893.38**
															745377.53
										Plantation (Fruits)	**7.00**	**hectare**		**127800**	**894600.00**

परिशिष्ट 2 : स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम

LOCAL AND BOTANICAL NAMES OF PLANTS

LOCAL NAME	BOTANICAL NAME (trees)	FAMILY
ACHAR	BUCHANANIA LANZAN	ANACARDIACEAE
AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
ALI/AAL/ BARTONADI	MORINDA TINCTORIA	RUBIACEAE
AMALTAS/BAHAWA	CASSIA FISTULA	CAESALPINIACEAE
AM	MANGIFERA INDICA	ANACARDIACEAE
ANJAN	HARDWICKIA BINATE	CAESALPINIACEAE
AMTA	BAUHINIA MALABARICA	CAESALPINIACEAE
ARAN	CASSINE GLAUCA	CELASTRACEAE
APTA/KACHNAR	BAUHINIA RACEMOSA	CAESALPINIACEAE
AONLA	PHYLLANTHUS EMBLICA	EUPHORBIACEAE
ARJUNA/KAHU	TERMINALIA ARJUNA	COMBRETACEAE
BABUL/BABOOL	ACACIA NILOTIA	MIMOSEAE
BAD/WAD	FICUS BENGALENSIS	MORACEAE
BAKAIN/BAKANEEM	MELIA AZADIRACH	MELIACEAE
BEHEAD	TERMINALIA BELLERICA	COMBRETACEAE
BEL	AEGLE MARMELOS	RUTACEAE
BHIRRA	CHLOROXYLON SWIETENIA	RUTACEAE
BHORAL	HYMENODICTYON EXCESUM	RUBIACEAE
BIBA/BHILAWA	SEMECARPUS ANACARDIUM	ANACARDIACEAE
BIJA	PTEROCARPUS MARSUPIUM	FABACEAE
BISTENDU	DIOSPYROS MONTANA	EBENACEAE
BOR/BER	ZIZYPHUS MAURITIANA	RHAMNACEAE
CHANDAN	SANTALUM ALBUM	SANTALACEAE
CHICHWA	ALBIZZIA ODORATISSIMA	MIMOSEAE
CHINCH,IMLI	TAMARICDUS INDICA	CAESALPIIACEAE
DHAK,PALAS	BUTEA MONOSPERMA	LEGUMNOSAE
DHAMAN	GREWIA TILIFORLIA	TILIACEAE
DHAORA/DAHWADA	ANOGEISSUS LATIFOLIA	CAESALPINIACEAE
DHOBAN/PHANSI	DALBERGIA PANICULAT	FABACEAE
GHOTI/GHOT	ZIZYPHUS GLABERRIMA	RHAMNACEAE
HALDU	ADINA CORDIFOLIA	RUBIACEAE
HIWAR	ACACIA LEUCOPHLOEA	MIMOSEAE
HIRDA/HARRA	TERMINALIA CHEBULA	COMBRETACEAE
JAMBHUL/JAMUN	SYZIGIUM CUMINI	MYRTACEAE
KALAM/MUNDI	MITRAGYNA PARVIFLORA	RUBIACEAE
KARANJ	PONGALIA PINNATA	FABACEAE
KARU(CASSIA)	CASSIA SIAMEA	CAESALPINIACEAE
KHAIR	ACACIA CATECHU	MIMOSEAE
KUDA	HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA	APOCY NACEAE
KUSUM	SCHELEICHERA OLEOSA	SAPINDACEAE
KUTU	STERCUTIA URENS	STERCULIACEAE
LASORA,GONDON	CORDIA MYXA	BORAGINACEAE

LENDIA/LENDA/SCHENA/ASAH	LAGERSTROEMIA PARVIFLORA	LYTHRACEAE
LOKHANDI	LXORA ARBOREA	RUBIACEAE
MEDSING	DOLICHANDRONE FALCATA	BIGNONIACEAE
MOHA/MAHUWA	MADHUCA LONGIFOLIA	SAPOTACEAE
MOKHA	SCHREBERA SWIETENOIDES	ARISTOLOCHIACEAE
MOYEN/MOWAI	LANNEA COROMANDELICA	ANACARDIACAE
NEEM	AZADIRACHTA INDICA	MELIACEAE
PANJARA	ERYTHRINA SUBEROSA	LEGUMINOSAE
PIPAL	FICUS RELIGIOSA	MORACEAE
ROHAN	SOYMIDA FEBRIFUGA	MELIACAE
SAG/SAGWAN/TEAK	TECTONA GRANDIS	VERBENACEA
SAJA/AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
SALAI	BOSWELLIA SERRATE	BURSERACEAE
SATKUDA/WHITE KUDA	HOLARRHENA PUBESCENUS	APOCYNACEAE
SEMAL(BORGU)	BOMBAX CEIBA	BOMBACEAE
SHIWAN/SIWAN	GMELINA ARBOREA	VERBENACEAE
SIRUS(BLACK)	ALBIZZIA LEBBEK	MIMOSEAE
SIRUS(WHITE)	ALBIZZIA PROCERA	MIMOSEAE
SISSOO	DALBERGIA SISSOO	FABACEAE
SITAPHAL	ANNONA SQUAMOSA	ANNONACEAE
TENDU	DIOSPYROS MELANOXYOON	EBENACEAE
TINSA	OUGENIA OOJEINENSIS	FABACEAE
TIWAS	OUGENIA DALBERGIOIDES	LEGUMINOSAE
THUAR	EUPHORBIA NERIIFOLIA	EYPHORBIACEAE
UMBAR	FICUS RACEMOSA	MORACEAE
WARANG/BARANGA	KYDIA CALYCINA	MALVACEAE

B.SHRUBS

BHANDARA	COLEBROOKA OPPOSITIFLIA	LABIATAE
BHARATI	GYMNOSPORIA SPINOSA	CELASTRACEAE
CHILLARI	MIMOSA RUICAULIS	MIMOSEAE
CHILLATI	CAESALPINIA SEPIARIA	CAESALPINIACEAE
DUDHI/KALAKUDA	WRIGHTIA TINCTORIA	APOCYANACEAE
DHAVATI	WOODFORDIA FLORIBUNDA	LYTHRACEAE
KARI KORANDO	CARRISSA SPINARIUM	APOCYANACEAE
KORAT	BARLERIA PRIONITIS	ACANTHACEAE
KUNDA,INDRAJAV	HOLARRIHENA ANTIDYSENETERICA	APOCYANACEAE
MURADSHENG/MARORPHAL	HELICTERES ISORA	STERCULIACEAE
NIRGUDI	VITEX NEGUNDO	VERBENACEAE
SINDHI/CHHINDI	PHOENIX SYLVESTRIS	ARECACEAE(PALMACEAE)
TARWAR	CASSIA AURICULATA	CAESALPINACEAE
WAGHOTI	CAPPARIS HORRIDA	CAPPARIDACEAE

C.HERBS

DIVALI	TEPHROSIA HAMILTONII	FABACEAE
GAJARGAWAT	PARTHEMIUM HYSTEROPHORUS	ASTRACEAE
GOKRU	TRIBULUS TERRESTRIS	ZYGOPHYLLACEAE
HAMATE	STYLOSANTHES HAMATA	CAESALPINIACEAE
PIVLA DHOTRA	ARGEMONE MEXICANA	PAPAVERACEAE
PIVILI TILWAN	CLEOME VISCOSA	CLEOPACEAE
RANTULSI/BANTULSI	HYPTIS SUAVEOLENS	LAMIACEAE
RANTUR	ATYLOSIA SCARABAEOIDES	FABACEAE
SCABRA	STYLOSANTHES SCABRA	CAESALPINIACEAE
TAROTA	CASSIA TORA	CAESALPINIACEAE

D. GRASSES AND BAMBOOS

BANS/BAMBOO	DENDROCALAMUS STRICTUS	POACEAE
BHURBHUSI	ERAGROSTIS TENELLA	POACEAE
DUSWA/HARYALLI/DOOB	CYNODON DACTYLON	POACEAE
DONGRI GAVAT	CHRYSOPOGON MONTANA	POACEAE
GUHAR,MARWEL	ANDROPAGON ANNULATUS	POACEAE
KANS	SACCHARUM SPONNEUM	POACEAE
KHAS	VETIVERIA ZIZANIOIDES	POACEAE
KODMOR	APLUDA VARIA	POACEAE
KUNDA	ISCHOEMUM PILOSUM	POACEAE
KUSAL	HETEROPOGON CONTORTUS	POACEAE
MUSHAN	ISEILEMA LAXUM	POACEAE
PAONIA	SEHIMA SULCATUM	
SABAI OR SUM	ISCHAEMUM ANGUSTIFOLIUM	POACEAE
SHEDA	SEHIMA NERVOSUM	POACEAE
TIKHADI/RUSA/ROSHA	CYMBOPOGON MARTINI	POACEAE

E.CLIMBERS

BHUIKAND/BAICHEND	DIOSCOREA DAEMONA	DIOSCORIACEAE
CHILATI	ACACIA PINNATA	MIMOSEAE
ERUNI	ZIZYPHUS OENOPLIA	RHAMNACEAE
GUNCHI/GUNJ	ABRUS PRECATORIUS	PAPILIONACEAE
KAJKURI	MUCUNA PRURIENS	FABACEAE
MAHULBEL/MAHUL	BAUHINIA VAHLLI	CAESLPINIACEAE
PALASVEL	BUTEA SUPERBA	FABACEAE
PIWARVEL	COMBRETUM OVALIFOLIUM	COMBRETACEAE
SHATOVA/SATAWARI	ASPARAGUS RACEMOSUS	LILLIACEAE
KAWAVEL,NAGBEL	CRYPTOLEPIS BUCHANANI	ASCLEPIADACEAE

COMMON AND ZOOLOGICAL NAMES OF THE ANIMALS AND BIRDS COMMONLY FOUND IN AMRAVATI DIVISION

LIST OF ANIMALS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
PANTHER, BIBTYA	PANTHER PARDUS
STRIPED HYENA, TADAS	HYAENA HYAENA
JANGALI KUTRA, WILD DOG	CUON ALPINUS
JACKAL, KOLH	CANIS AUREUS
INDIAN FOX, LOMAD	VULPES BENGALENSIS
JUNGLE CAT, RAN MANJAR	FELIS CHAUS
BLACK BUCK, KALWIT	ANTILOPE CERVICAPRA
CHEETAL,SPOTTED DEER	AXIS AXIS
BHEKAD, BARKIN DEER	MUNTIACUS URSINUS
NILGAI, BLUE BULL	BOSELAPHUS TRAGOCENMELUS
SLOTH BEAR, ASWAL	MELURSUS URSINUS
COMMON LANGUR	PRESBYTIS ENTELLUS
PORCUPINE, SAYAL, SALU	HYSTRIX INDICA
HARE, SASA	LEPUS NIGRICOLLIS
SAMBAR	CERVUS UNICOLOUR
WILD BOAR, RAN DUKAR	SUS SCROFA

LIST OF BIRDS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
POND HERON OR PADDY BIRD	ARDEOLA GRAYJI
CATTLE EGRET	BUBULCUS IBIS
WHITE BREASTED WATERHEN	AMAURORNIS PHOENICURUS
GREY PARTRIDGE	FRANCOLINUS PONDICERIANUS
JUNGLE BUSH QUAIL	PERDICULA ASIATICA
YELLOW WATTLED LAPWING	VANELLUS MALABARICUS
ROSE ROMGED PARAKEET	PSITTACULA KRAMERI
BLOSSON HEADED PARAKEET	PSITTACULA CYANOCEPHALA
ALEXANDRINE PARAKEET	PSITTACULA EUPATRIA
KOEL	EUDYNAMYS SCOLOPACEA
CROW PGEASABT(COUCAL)	CENTROPUS SICENSIS
SPOTTED OWKET	ATHENE BRAMA
COMMON INDIAN NIGHT JAR	CAPRIMULGUS ASIATICUS
WHITE BREASTED KINGFISHER	HALCYON SMYRENESIS
COMMON KINGFISHER	ALCEDO ATTHIS
GREEN BEE EATER	MEROPS ORIENTALIS
HOOPOE	UPUPA EPOPS
INDIAN ROLLER	CORACIAS BENGALENSIS
GOLDEN BACKED WOOD PECKER	DINOPIUM BENGHALENSE
RUFOUS BACKED SHRIKE	LANIUS SCHACK
GOLDEN ORIOLE	ORIOLUS RIOLUS
BLACK DRONGO	DICRURUS ADSIMILLIS
BRAHMINY MYNA	STURNUS PAGODARUM

COMMON MYNA	ACRIDOTHERES TRISTIS
HOUSE CROW	CORVUS SPLENDENS
JUNGLE CROW	CORVUS MACORTHYNCHOS
SMALL MINIVET	PERICROCOTUS CINNAMONEUS
COMMOM LORA	AEGITHINA TIPHIA
RED VENTED BULBUL	PYCNONQUS CAFER
COMMON BABBLER	TURDOIDES CAUDATUS
WHITE THROATED FANTAIL FLYCATCHER	RHIPIDURA ALBICOLLIS
PARADISE FLYCATCHER	TERPSIPHONE PARADISI
MAGPIE ROBIN	COPSYCHUS SAULARIS
IDIAN ROBIN	SAXICOLOIDES FULICATA
GRAY WAGTAIL	MOTACILLA CINEREA
PIED OR WHIT WAGTAIL	MOTACILLA ALBO
GREY TIT	PARUS MAUOR
PURPLE SUNBIRD	NECTARINIA ASIATICA
HOUSE SPARROW	PASSER DOMESTICUS

ENDANGERED WILDLIFE

PANTHER	PANTHER PARDUS
SLOTH BEAR	MELURSUS URSINUS
PEACOCK	PAVO CRISTATUS

परिशिष्ट 3 : ग्रामसभा की नोटीस तथा ठराव

ग्रामसभेची सूचना

सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती [4 (1-e)]

गाव ग्रामसभा : आडाड गट ग्रामपंचायत : खटकाली

तहसिल : ता. चिखलदरा जिल्हा : अमरावती

प्रति,

मा. ....

....

विषय – वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामुहीक वन अधिकार क्षेत्राच्या नियोजन व व्यवस्थापन आराखड्याला अंतीम मान्यता देण्याबाबत.

मा. महोदय,

आपणास माहितच आहे की....आडाड.......... गावाचे सामूहीक वन हक्क अधिकार मान्य झालेले आहे. वन हक्क कायद्याच्या कलम ५ अनुसार सामुहीक वन हक्क व्यवस्थापन समिती, गाव समुदाय आणि 'खोज' संस्थेच्या तांत्रीक सहकार्याने वन नियोजन व प्रबंधन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सदर आराखडा हा वन विभागाच्या कार्य आयोजनेचा भाग म्हणुन जोडला जाईल. सदर नियोजनाची मांडणी चर्चा होवून अंतीम स्वरूपात मान्यता या ग्रामसभेत होणार आहे. त्यात आपली मोलाच्या सूचना मिळाव्यात याकरीता आपली उपस्थिती महत्वाची आहे. सदर ग्रामसभा बैठक गाव ....आडाड.......... येथे [illegible]........ ठिकाणी दिनांक ...10/05/2018... रोजी ..5:20.......... वाजता आयोजित करण्यात येत आहे.

कृपया, सदर ग्रामसभेत आपण उपस्थित राहुन सदर व्यवस्थापन आराखडा अधिक उत्तम स्वरूपात बनविण्यात येण्याकरीता उपयुक्त सूचना व मते मांडवित ही नम्र अपेक्षा.

सधन्यवाद

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव
ग्राम सभा आडाड

आपले विश्वासू

O/C

दिनांक : 1/05/2018

अध्यक्ष/सचिव
सामुहीक वनहक्क व्यवस्थापन समिती..........

प्रतिलीपी :

१. मा. वनरक्षक/वनपाल ....
२. मा. कृषि पर्यवेक्षक ....
३. मा. पशु वैद्यकिय अधिकारी ....
४. मा. अभियंता लघु सिंचन ....
५. मा. विशेष कार्यक्रम अधिकारी म.ग्रा.रो.ह.का. योजना ....
६. मा. लागवड अधिकारी, सामाजिक वनिकरण ....
७. मा. वन परिक्षेत्र अधिकारी, कार्यालय ....
८. मा. संचालक 'खोज' संस्था कार्यालय गौरखेडा कुंभी
९. मा. सरपंच/सचिव गट ग्रामपंचायत कार्यालय ....

दिनांक १०/५/२०१८

ग्राम सभा आहाड

PAGE NO.:
DATE: / /

ग्रामसभा गाव — आहाड
गट ग्राम पंचायत — सरकाळी
तहसील — चिखलदरा
जिला — अमरावती
दिनांक — १०/५/२०१८

ठराव

आज दि १०/०५/२०१८ समय ७:१५ बजे गाव आहाड की ग्रामसभा बैठक का आयोजन श्री श्री गंगाराम रामाराम चिलाटे इन का अध्यक्षता मे कीया गया। इस ग्रामसभा मे वन अधिकार कानुन-२००६ के तहत प्राप्त सामुहिक वन अधिकार क्षेत्र का वन संवर्धन, सुरक्षा संबंधी नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का वाचन कर उपयुक्त सुचना एवं सुझावो को जोड कर अंतीम रुप मे सर्व सहमती से मंजुरी दी गई जिसके अनुसार —

क) ग्रामसभा आहाड द्वारा घोषित कीया जाता है की साथ जोडा गया वन नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा पुरी चर्चा कर आज से १० वर्ष के लिए स्विकृत किया जाता है

ख) यह भी घोषित जाता है की साथ जोडा ग्राम नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा/साथ वन विभाग द्वारा बनाए गये प्रबंधन मसौदा/सुक्ष्म नियोजन मसौदा (Mangement Plan/micro plan working plan इन मे निम्न अनुसार सुसंबद्ध रहेगा।

1) साथ का वन नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा इससे आगे वन विभाग का वन प्रबंधन मसौदा/सुक्ष्म नियोजन मसौदा/कार्य मसौदा (कार्य नियोजन आदि मे अंतर्भुत रहेगा।

(ख) वन विभाग का प्रबंधन मसौदा / सुक्ष्म नियोजन मसौदा / चालू मसौदा तथा गाव का सामुहिक वन नियोजन एवं प्रबंधन मसौदा आदि मे कानुनी प्रावधानो के अनुसार सुसंगति व हो ऐसा ग्रामसभा वन विभाग के सहकार्य से निर्णय किया जाएगा

(ग) ग्राम सामुहिक वन संसाधन प्रबंधन समिति अथवा ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत) इन्होने इस मसौदे की प्रति स्थानिक जिल्हा वन संरक्षक को भेजने बाबद सुचित किया जाता है

(घ) यह भी घोषित किया जाता है की यह ग्रामसभा जब जरुरी समझेगी तब इस प्रबंधन मसौदे मे सुधार करने बाबद हक आपके पास रखती है

(च) इसके बाद यह भी घोषित किया जाता है कि कोई भी इस सामुहिक वन अधिकार क्षेत्र मे प्रबंधन, वृक्ष रोपण, वृक्षतोड तथा वनो का पुनरुज्जीवन जैसे उपक्रम इस ग्रामसभा की पुर्व सुचित अनुमति के बगैर कर नही सकेगा। ठराव सर्व सहमती से मंजुर.

ग्राम सभा गाव झाबाड

दि ३०/०८/०९

नाम ग्रामसभा सदस्य	सही / अंगठा
(१) नंदु कुवा नाईक	नंदु नाईक
(२) बाबुराम भानिराम कासदेकर	Baburam (signature)
(३) बालचंद हरिचंद कासदेकर	(signature)
(४) शिखारीलाल दुहिकर	शिखारीलाल दुहिकर
(५) हरिचंद्र रामकिसन कासदेकर	हरिचंद्र का.
(६) मानिराम खाव्या निगार	मानिराम निंगार
(७) गोपी दरलिया	(signature)

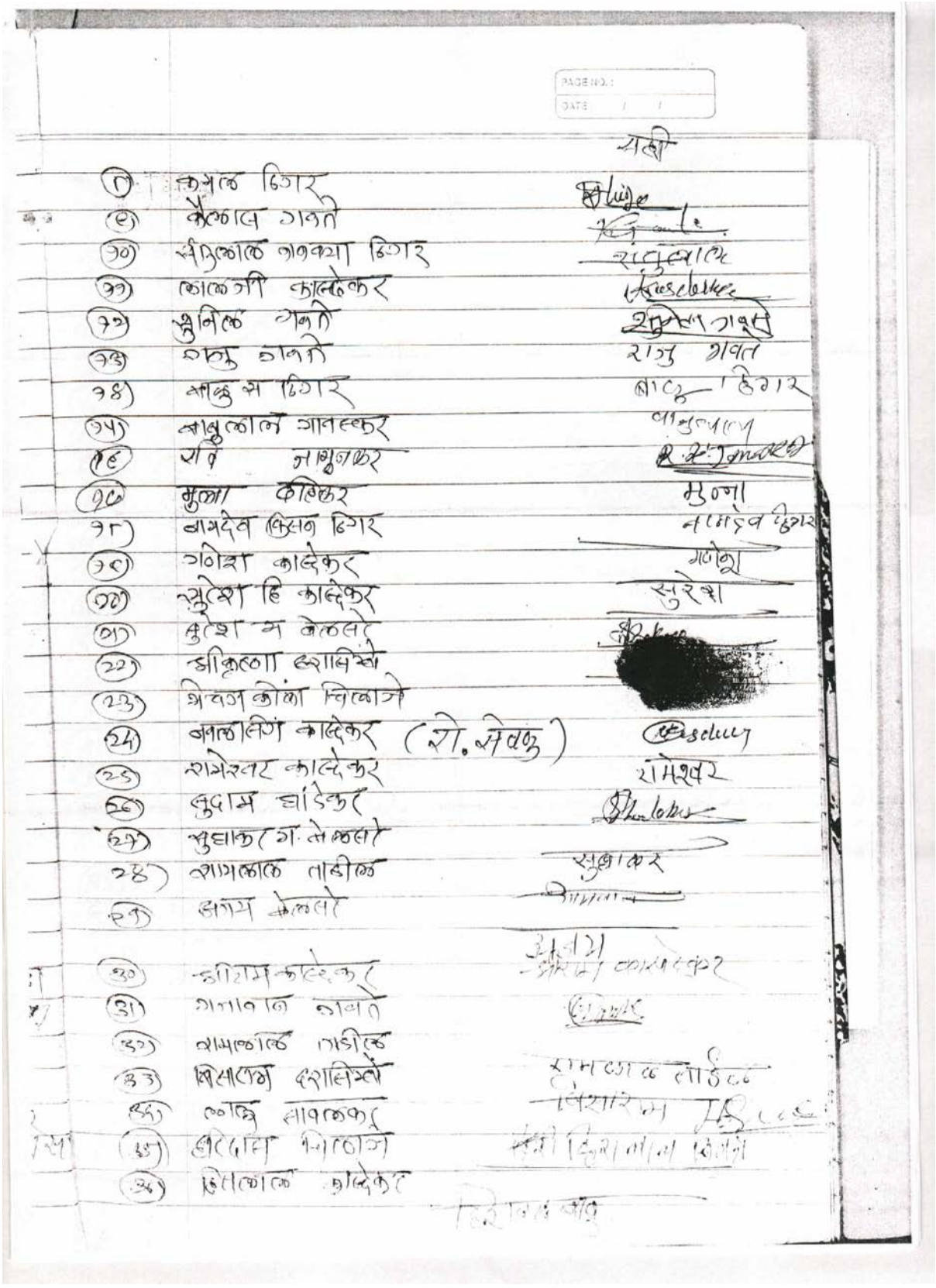

[६७]

PAGE NO.:
DATE: / /

			64)
37	हरिसिंह चाव्हाण		65)
38	~~बाबराव के~~ अजाराम बोरकर		66)
39	गनिराम काल्देकर	गनीराम वासंदकार	67)
40	अर्जुन बेलसर	अर्जुन बेलसरे	68)
41	गोपाल हराशिम्बे	गोपाल हरासिम्बे	69)
42	सोमोती कंड्रु चिकाने	सोमंती	70)
43	रंगु शालिकराम गवते	रंगु	71)
44	मधुकर दहिकर		72)
45	बाबाराव हिवरे	मधुकर	73)
46	किसन काल्देकर		74)
47	~~भास्करराव गवते~~		75)
47	भास्करराव गवते		76)
48	चेतराम चिकाने	~~भास्करराव~~ चेतराम चिकाने	77)
49	गंगाराम चिकाने		78)
		गंगाराम	79)
50	नंदलाल बोरकर	Nandlal	80)
51	बिसाराम काल्देकर	बिसाराम	81)
52	ठाकरे साहेब (वनविभाग)	Kum	82)
53	जयकिशोर गवते	Gawte	83)
54	राजाराम सि. बेलसरे	R.S. Belsare संजय	84)
55	संजय काल्देकर		85)
56	हिरामन बेलसरे		86)
57	~~शालिकराम~~	हिरामन	87)
57	शालिकराम गवते	ह्यानी वाराम	88)
58	रमाय गोविंद चिकाने	मामं बाती	89)
59	जमुना शिवलाल काल्देकर	जमुना	90)
60	रिशिका कृष्णा चिकाने	रिशिका	91)
61	रेखा गुलाराम धाडके	रेखा	92)
62	कोती बंडु धाडिके	कोंती	93)
63	जासन्तु आत्माराम चिकाने	जासंतु	94)

64)	बिराज चंपालाल गवते	बिराज
65)	मोती मन्नु गवते	मोती
66)	गंगाराम कुवा ताडील	गंगाराम
67)	श्रावण बाबु गवते	SGavate
68)	अशोक खडके	अशोक
69)	रामलाल ताडील	रामलाल
70)	सुर्यभान बेलसरे	
71)	कालु उत्तमगवते	
72)	नंदु मानिराम काल्देकर	नंदु
73)	बालचंद्र काल्देकर	BKasdelcar
74)	सुधीर धांडे	सुधीर
75)	बाबु डिगर	बाबु
76)	गब्बालाल दहिकर	गब्बालाल
77)	संतोष दहिकर	संतोष
78)	शंकर डिगर	
79)	सुनिल गवते	SGavate
80)	सोहन काल्देकर	सुनिल सोहन
81)	बिहारीलाल दहिकर	बिहारीलाल
82)	शिवा सोटे	शिवा
83)	लक्ष्मण राजाराम चिलात्रे	लक्ष्मण
84)	हिरालाल चिलात्रे	हिरालाल
85)	गजानन चिलात्रे	गजानन चिलात्रे
86)	छोटेलाल काल्देकर	छोटेलाल काल्देकर
87)	सुधार बेलसरे	सुधार बेलसरे
88)	सुभाष बेलसरे	सुभाष बेलसरे
89)	हरिदास चिलात्रे	
90)	सुनिल सागरु गवते	SunilGavate
91)	अनिल ताडील	Anil
92)	सुनिल ताडील	सुनिल
93)	रमेश बेलसरे	रमेश बेलसरे
94)	सुरेश बेलसरे	सुरेश बेलसरे

		सही
95)	अजय बेलसरे	अजय
96)	पवन बेलसरे	Belsare
97)	राजकुमार ढराशिखे	राजकुमार
98)	मनसाराम ढराशिखे	मनसाराम
99)	पवन बिसार	पवन बिसार
100)	संतोष काळदेकर	S.S. कारदेकर
101)	नागोराव जामुनकर	Njamunkar
102)	नरेंद्र जामुनकर	नरेंद्र
103)	सालमान जामुनकर	सालमान
104)	लक्ष्मण चिलात्रे	ग्रामप्रवर्तक Lchilatre

परिशिष्ट 4 : संक्षिप्त

१. FRA - वनअधिकार कानून.

२. CFR - सामुहिक वन अधिकार.

३. JFM - संयुक्त वन व्यवस्थापन.

४. DCF - उपवन संरक्षक.

५. CCF - मुख्यवन संरक्षक.

६. CEO - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.

७. PO - प्रकल्प अधिकारी (आदिवासी विकास विभाग).

८. ATC - अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त.

९. PS - प्रधान सचिव.

१०. ४ (१) ई समिती -गाव की, वन प्रबंधन, नियोजन तथा जैव विविधता समिती.

११. Ha - हेक्टर.

१२. MFP - गौण वन उपज.

१३. NTFP - गैर काष्ठ वन उपज.

१४. WAT - जल शोषक चर.

१५. CCT - समतल सलग चर.

१६. DCT - खंडीत सलग चर.

१७. LBS - दगडी बांध

१८. GS - जाली के बंधारे

१९. CSB - समलग पत्थर बांध

२०. GB - खेती का धुरा बांध

२१. WV - पानी जाने की नाली

२२. FD - सांडवा

२३. Rmt - रनींग मिटर